राजस्थान विधान सभा

सोलहवीं बैठक, दिनांक ३ नवम्बर, १९५२

सदन का कार्य ८ बजकर ३५ मिनट पर प्रारम्भ हुआ।

(श्री अध्यक्ष पदासीन)

सदन के नये नेता, श्री जयनारायण व्यास, के स्वागत में भाषण

श्री अध्यक्ष:- सदन के सदस्यों को कदाचित यह ज्ञात है कि आज ट्रेजरी बैंचेज पर सदन के नये नेता बैठे हुए हैं। श्री जसवंतसिंहजी, विरोधी दल के नेता, उनके स्वागत में कुछ कहना चाहेंगे।

श्री जसवन्तसिंह (विरोधी दल के नेता):-अध्यक्ष जी, आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले मेरा यह कर्तव्य होजाता है कि सदन के नये नेता, माननीय श्री व्यासजी के उपलक्ष में विरोधी दल की तरफ से मैं स्वागत करूं। इस सदन में ऐसा कौन माननीय सदस्य है जो माननीय व्यासजी से जानकारी न रखता हो और उनके सर्व विख्यात होने की हमें पूरी जानकारी है। जहां तक कांग्रेस दल का सवाल है वहां से इनको लोकनायक की उपाधि कई सालों से प्राप्त है और यदि वे इस सदन में नामजद किये हुए सदस्य होते तो मैं उम्मीद करता हूं कि उनका स्थान सदन में सर्व प्रथम होता। लेकिन जनतंत्रवाद की कसौटी इतनी कठिन कसौटी है कि उस अंदर से निकलने के लिये माननीय श्री व्यासजी को बहुत कुछ परिश्रम करना पड़ा। लेकिन खुशी की बात यह है कि उनके अत्यन्त परिश्रम और धैर्य ने उन्हें अन्त में सफलता दी। इस सफलता के बाद में कांग्रेस-भाइयों की तरफ से कुछ सदस्यों द्वारा आपत्ति प्रगट की गई, लेकिन फिर भी उन्होंने सफलता प्राप्त की और उसके फलस्वरूप आज वे सदन के नेता के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित हैं; इसके लिये हम उनको हार्दिक बधाई देते हैं।

राजस्थान सरकार को बने लगभग चार साल हुए हैं और इन चार सालों में कांग्रेस की चार सरकारें यहां हुईं। सर्वप्रथम जयपुर के श्री हीरालालजी शास्त्री मुख्य मंत्री बने और उन्होंने जयपुर खास के लिये बहुत कुछ तवज्जुह दी और बहुत कुछ काम किये। उसके बाद जोधपुर के श्री जयनारायणजी व्यास प्रधान मंत्री हुए और उन्होंने जोधपुर के लिये बहुत कुछ कर दिखाया और बाद में

फिर जयपुर के माननीय पालीवालजी मुख्य मंत्री हुए और हालांकि उनका कार्य दूसरी दिशाओं में रहा; लेकिन उनके मंत्री–मंडल में जिस जिस जगह के जिस प्रकार के प्रभावशाली मंत्री रहे उन्होंने अपने अपने स्थानों के लिये बहुत कुछ किया। अब खुशी की बात है कि एक छोटे से स्थान किशनगढ के प्रतिनिधि एक नये जयनारायणजी व्यास, नये मुख्य मंत्री और इस सदन के नेता बने हैं। मैं उनसे आशा करता हूं कि जिस प्रकार पिछले तीन वर्ष से मंत्रियों ने पुरानी रियासतों को भुला दिया है और वहां के निवासियों का जीवन नष्ट-भ्रष्ट हुआ है और उन रियासतों की पुरानी शान को बरबाद कर दिया है। जिन पुरानी रियासतों के साथ पहले सौतेले पुत्र के समान व्यवहार किया गया है, अब उनके हाथों से इनके साथ नये तरीके से बरताव किया जायगा। पिछले छ–सात महीनों में हमारे राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण घटनायें हुई हैं। सर्वप्रथम यह विधान सभा शुरू हुई। माननीय पालीवालजी के नेतृत्व में हमारे आपस में मित्रता की भावना रही। कई बार ऐसा अवसर आया जब दोनों पक्षों में घोर संघर्ष हुआ; लेकिन खुशी की बात है कि हमारी वैमनस्यता इस सदन तक ही सीमित रही और बाहर निकलते ही हम मित्र बने रहे।

अब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आते हुए मुझे सिर्फ दो बातें कहनी हैं। पहली बात है प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट के विषय में। इसके बारे में विरोधी दल को कुछ खेद है। इसके बारे में पहले हम बहुत कुछ कह चुके हैं। दूसरा सवाल जिसके कारण हमें सरकार के प्रति खेद है वह है जातिवाद। इसमें कुछ नेताओं का हाथ रहा है। यह ऐसी बात है जो प्रान्त के लिये घातक है और आइन्दा भी घातक सिद्ध होगी। हम आशा करते हैं कि माननीय श्री व्यासजी के हाथों से सब बातें ठीक हो जायगी। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वह व्यासजी को सद्बुद्धि और सदभावना दे और यदि वे देश व प्रान्त की भलाई करने के लिये दलबन्दी से ऊपर उठेंगे तो हम विश्वास दिलाते हैं कि हम, विरोधीदल वाले, उन्हें सहयोग देने के लिये हमेशा तैयार रहेंगे। अन्त में मैं श्रीमान् व्यासजी के सफलता की कामना करता हुआ उनका स्वागत करता हूं।

मैं दो चार शब्द अपने मित्र पालीवालजी के प्रति भी कहना चाहता हूं। उन्होंने (पालीवालजी ने) इस सदन में और बाहर भी हम लोगों के साथ बहुत सहानुभूति-पूर्वक बर्ताव किया और जहां तक वे कर सके उन्होंने हमारे साथ सहयोग देने की कोशिश की; मगर जबकि हम एक दूसरे से इस सदन में जानकारी कर चुके थे और जब Administration का काम होने लगा था तो कुछ ऐसी परिस्थितियें उत्पन्न हो गईं कि उन्हें सदन के नेतृत्व से और मुख्य मंत्री-पद से अलग होना पड़ा।

जो कुछ उन्होंने हमारे साथ किया, उसके लिए इन्हें हम धन्यवाद देते हैं और जिन मजबूरियों के कारण उनको सदन का नेतृत्व और मुख्य मंत्री–पद छोडना पड़ा उसके लिए हमें उनके साथ सहानुभूति है और हम ईश्वर से उनकी शुभ कामना करते हैं।

श्री जयनारायण व्यास:–माननीय अध्यक्ष महोदय ! मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं (जिन्होंने) आपने मुझे नये रूप में यहां प्रस्तुत किया । इसके बाद मैं विरोधी पक्ष के नेता और मेरे पुराने साथी, माननीय श्री जसवन्तसिंहजी के प्रति आभारी हूं जिन्होंने मेरे यहां आने पर स्वागत और हर्ष प्रगट किया और साथ २ मुझे बहुत सारी उपदेश की बातें कहीं । मैं उन बातों की जितनी कद्र होनी चाहिए, उतनी कद्र करता हूं । माननीय जसवन्तसिंहजी साहब ने पुराने मंत्री मंडलों की विवेचना करते हुए यह कहा कि पंडित हीरालाल शास्त्री ने जयपुर के उत्थान का प्रयास किया और जयनारायण व्यास, जो जोधपुर का था, जोधपुर के उत्थान का प्रयास किया और अब जब कि वह किशनगढ़ से चुन कर आया है तो छोटी २ पुरानी राजधानियों के उत्थान की कोशिश करेगा ।

मैं, माननीय महोदय से इस बात में असहमत हूं कि हम जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, किशनगढ़ या और ऐसे स्थानों के रहने वाले हैं और जोधपुर के लिए या दूसरे स्थानों के लिए मैंने ज्यादा काम किया है । ऐसी प्रशंसा करेंगे तो मैं तो समझूंगा कि यह आरोप ही होगा, जिसका मैं हकदार नहीं हूं । मैं माननीय जसवन्तसिंहजी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरे जमाने में जोधपुर की कोई तरक्की हुई हो; ऐसी बात नहीं है । हां डकैतियां ज्यादा हुईं और उनमें बीकानेर का ज्यादा Contribution रहा । जगमाल पहले ही वहां था, राजा साहब बिलानियासर भी वहां आगये और भंवरसिंह भी वहां आगया और यह अब तक कष्ट दे रहे हैं । मैं विरोधी पक्ष के नेता से निवेदन करूंगा कि जो मेरे जमाने में यह जो नया इजाफा हुआ, उसको अब कम करने में सहयोग देंगे ।

अध्यक्ष महोदय ! विरोधी पक्ष के नेता ने दो बातें मेरी तवज्जुह में लाने की कोशिश की है । एक Preventive Detention Act की और दूसरी जातिवाद की । Preventive Detention Act के बारे में मेरे साथी पालीवालजी बहुत अच्छी तरह से भाव प्रकट कर चुके हैं और मैं भी अध्यक्ष महोदय ! आपके जरिये सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि Preventive Detention Act का प्रयोग उन्हीं के लिए किया जायगा जो शान्ति और व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं, न कि राजनैतिक मतलब के लिए ।

दूसरी बात जातिवाद के जहर को फैलाने की है। इसके बारे में अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सदन को अर्ज करना चाहता हूं कि मैं जातिवाद का बड़ा दुश्मन हूं । चाहे कोई व्यक्ति हो, मेरा मित्र हो या अन्य, जो जातिवाद को पैदा करेगा या प्रोत्साहन देगा वह मेरा मित्र रहते हुए भी मैं उसका विरोध करूंगा । जातिवाद के कारण आज शान्ति और व्यवस्था में गड़बड़ी होती है, सरकार के काम काज में बाधा आती है । यही नहीं जब तक हम जातिवाद को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देंगे तब तक हम उन्नति नहीं कर सकेंगे । इसको खत्म करने के लिये हमारा पक्ष तो भरसक प्रयत्न करता ही रहेगा किन्तु मैं आशा करता हूं कि इस सम्बन्ध में विरोधी पक्ष से भी हमे सहयोग मिलेगा ।

मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम न सिर्फ, जो मेरे साथी सरकारी बैंचों पर बैठने वाले हैं उन्हीं का सहयोग लेंगे बल्कि विरोधी दल से भी सहयोग लेंगे

चाहे वह दल एक का हो या दो का । जितने भी हैं, हम उनका, राजस्थान का जीवन स्तर ऊंचा उठाने में, गरीबी को दूर करने में और राजस्थान की उन्नति और उत्थान में सहयोग लेंगे और हमारी नीति पक्षपात से परे होगी। और जाति पांति एवं धर्म अथवा सम्प्रदाय सम्बन्धी दुर्भावना से अलग रहेगी ।

अन्त में मैं कुछ शब्द उन साथियों के प्रति जो मेरे साथ बैठे हैं कहे बिना नहीं रह सकता; हालांकि कहने में संकोच होता है क्योंकि वे मेरे साथी हैं फिर भी जिस सतर्कता और योग्यता से, प्रतिकूल परिस्थितियों के रहते हुए भी, पालीवालजी व उनके साथियों ने, जो अब मेरे भी साथी हो गये हैं सरकार का काम चलाया है, कार्य संचालन किया है उसके लिए मैं उनका आभार मानता हूं । मुझे तो एक चलती हुई गाड़ी मिली है और गाड़ी को थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी करके जिस रास्ते ले जाना है, ले जाना है । एक इजाफा, Engine या ब्रेक समझ लीजिये हुआ है । इसका हम सब मिल कर फायदा उठा सकेंगे, तो अच्छा होगा ।

अध्यक्ष महोदय ! अंत में मैं आपको और आपके जरिये विरोधी पक्ष के नेता को और सम्पूर्ण सदन को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस हाउस में प्रेम के साथ बैठने का और सहयोग का विश्वास दिलाया है । मैं भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सहयोग का उत्तर मेरी ओर से भी सहयोग में ही मिलेगा । धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न

श्री अध्यक्ष:—Questions.

श्री भैरूंसिंह:—अध्यक्ष महोदय ! मैं जानना चाहता हूं कि मेरे प्रश्न के B और C भागों को इसमें क्यों नहीं लिया गया है ।

श्री अध्यक्ष:—You will just know.

प्रश्न संख्या २६४

श्री भैरूंसिंह:—क्या गृह मंत्री महोदय यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि—

(अ) राजस्थान में कितनी राजनैतिक संस्थाएं हैं और वे कौन २ सी हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—(अ) राजस्थान में १२ राजनैतिक संस्थायें हैं अर्थात् कांग्रेस, समाजवादी, राष्ट्रीय सेवा संघ अथवा जन संघ, क्षत्रिय महा-सभा, रामराज्य परिषद, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, साम्यवादी, कृषिकार लोक प्रजा पार्टी, हिंदू महासभा, किसान सभा, रेलवे मजदूर संघ और जमायत उल उलेमा हिंद ।

श्री भैरूंसिंह:—क्या राजपूत सभा और क्षत्रिय महासभा भी कोई पोलिटिकल पार्टी है ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—ऐसा ही मालूम होता है।

श्री भैरूंसिंह:—क्या आप राजपूत सभा, क्षत्रिय महासभा को अलग अलग संस्थाएं मानते हैं या एक ही मानते हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—नाम तो अलग मालूम पड़ते हैं मगर इनकी प्रवृत्ति एक सी है।

श्री भैरूंसिंह:—क्या आपने इन दोनों का विधान देखा है ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—हमने इनका कार्यक्रम देखा है।

श्री भैरूंसिंह:—क्या राजनैतिक संस्थाएं कार्यक्रम देखने से पहिचानी जाती हैं या उसका विधान देखने से या किसी दूसरी तरह से ?

श्री अध्यक्ष:—The second part of the question has been replied in answer to another question and that can be seen in the books published.

प्रश्न सं० २६५

श्री भैरूंसिंह:—क्या मंत्री महोदय, गृह विभाग, यह बतलाने का कष्ट करेंगे:—

(अ) राजस्थान प्रान्त के निर्माण के पश्चात् जनता पर कहां कहां पुलिस द्वारा गोली चलाई गई ?

(ब) क्या सरकार ने इस गोली-कांड की जांच की रिपोर्ट प्रकाशित करवाई है ?

(स) यह जांच किन २ अधिकारियों द्वारा की गई है ?

(ड) क्या सरकार यह जांच किसी हाई कोर्ट के जज द्वारा करवाना ठीक नहीं समझती ? यदि हां, तो क्या भविष्य में सरकार ऐसा करेगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—(अ) निम्नलिखित स्थानों पर फाईरिंग का हुक्म देना पड़ा:—

१. सुआना, जिला भीलवाड़ा, २. दुर्गापुरा, जिला जयपुर, ३. मनीपुरा, जिला सवाई माधोपुर ४. तारपुर, जिला सीकर, ५. जोधपुर ६. जयपुर और ७. किशनगढ़, जिला जयपुर।

(ब) नहीं

(स) सुआना के फाइरिंग के मामले में जांच सरकार द्वारा मुकर्रर किये गये एक खास ट्रिब्युनल द्वारा की गई, जयपुर के फाइरिंग के मामले में कमिश्नर जयपुर द्वारा, मनीपुरा के फाइरिंग के मामले में सवाई माधोपुर के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा, किशनगढ़ के मामले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जयपुर द्वारा और जोधपुर के फाइरिंग के मामले में जांच डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जोधपुर द्वारा की गई।

(ड) नहीं सवाल पैदा नहीं होता।

भैरूंसिंह (दांता रामगढ़):—क्या सरकार को यह मालूम है कि तारपुरा में गोलीकांड हुआ था ?

श्री अध्यक्ष:—That has already been replied.

भैरूंसिंह:—इसकी जांच का कोई जवाब नहीं दिया गया है।

श्री टीकाराम पालीवाल:—इसकी जांच डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट ने की थी।

भैरूंसिंह:—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सुआना में कितने किसान गोली से मारे गये ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—इसका जवाब आ चुका है।

श्री माधोसिंह:—जोधपुर में कितने व्यक्ति गोली से मारे गये और कितने घायल हुए ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—जोधपुर में गोली से कोई नहीं मरा; हां, कुछ घायल अवश्य हुए थे।

एक सदस्य:—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि विनोल में गोली चलाई उसमें कितने आदमी मारे गये ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—ऐसा लगता है कि यह पहले की बात है।

एक सदस्य:—जो किसान मारे गये कौन कौन सी जाति के थे ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—किसानों में जाति का सवाल ही नहीं है।

श्री एच. के. व्यास:—इस प्रश्न के (ब) का जवाब अभी तक नहीं मिला है।

श्री टीकाराम पालीवालः—"नहीं"

श्री एच. के. व्यासः—क्या सरकार उसको अब भी सदस्यों की जानकारी के लिये सदन की मेज पर रखने के लिये तैयार है ?

श्री टीकाराम पालीवालः—इस सदन की कार्यवाही तो अब खतम हो रही है, अगले सेशन के समय देखेंगे।

श्री एच० के० व्यासः—क्या सरकार इस बात की जानकारी देने के लिये तैयार है कि इस जांच का नतीजा क्या निकला ?

श्री टीकाराम पालीवालः—जरूर दी जावेगी।

श्री इन्द्रनाथ मोदीः—सवाल यह था कि इस संबन्ध में जो जांच की गई उसकी रिपोर्ट सरकार माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये इस सदन की मेज पर रखने के लिये तैयार है या नहीं। मैं चाहता हूं कि इसका स्पष्ट उत्तर दिया जाए।

श्री टीकाराम पालीवालः—अगले सेशन में अगर हो सका तो जरूर दिया जावेगा।

प्रश्न सं० २६६

श्री भैरूंसिंहः—क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(अ) राजस्थान राजपत्र के गत मास के अंक में तहसील दांता रामगढ़ के लिये प्रकाशित भूमि दर (सेटलमेंट रेट्स) किस आधार पर कायम की गई है ?

(ब) क्या यह सही है कि भूमि दर कायम करते समय क्रॉप इन्सपेक्शन व १० साल की पैदावार को दृष्टिगत नहीं रखा गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़ियाः—(अ) दफा ८२, जयपुर स्टेट ग्रान्ट्स लेंड टेन्योर्स एक्ट, ४७ में दर्ज बातों को ख्याल में रख १/६ बांटें की संवत् १९९८ से २००२ तक की औसत कीमत पर प्रकाशित लगान की दरें निर्धारित की गई हैं।

(ब) नहीं

श्री भैरूंसिंहः—क्या यह सही है कि धारा १०० के मातहत १५ हजार से कम की जागीरवालों से रेन्ट काइन्ड में लेना चाहिये और ऊपर वालों से केश में; उसके अनुसार नहीं लिया जा रहा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़ियाः—मैं इसके लिये नोटिस चाहता हूं।

प्रश्न संख्या २३७

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १६):—क्या श्री राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राजस्थान कृषि प्रधान प्रान्त होने के कारण क्या सरकार गायों की नस्ल सुधारने एवम् उनके भरण पोषण के प्रबन्ध करने के सम्बन्ध में कोई विचार कर रही है ? यदि नहीं तो क्यों और यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार की स्पष्ट नीति क्या है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—राजस्थान जैसे कृषि प्रधान राज्य में पशु-पालन का कम महत्व नहीं है। राजस्थान की सरकार स्थिति के विषय में सजग है और आर्थिक कठिनाई द्वारा उत्पन्न परिसीमाओं के भीतर स्थिति का सामना करने का प्रयत्न कर रही है।

नस्ल सुधार के लिए सरकार ने केट्ल ब्रीडिंग फार्मस खोले हैं जिनमें बढ़िया प्रकार के सांड पैदा करते हैं। इन सांडों को स्थानीय पशु संख्या की श्रेणी सुधारने के लिए कुछ चुने हुए गांवों में वितरित किया गया है। ऐसे तीन फार्मस हैं जो अलवर, बसी और नागौर में स्थित हैं। अलवर फार्म में मेवाती नस्ल के, बसी फार्म में हरियाना नस्ल के और नागौर फार्म में नागौरी नस्ल के पशु उत्पन्न किए जाते हैं व पाले जाते हैं।

हाल में ही कोटा में एक कृत्रिम बीजारोपण केन्द्र स्थापित किया गया है जिसके सम्बन्ध में निरीक्षण आदि की समस्त प्रारम्भिक कार्यवाही समाप्त हो गई है। कृत्रिम बीजारोपण विधि का अनुसरण करके पशु अभिजनन की प्रक्रिया में शीघ्रता लाने की आशा की जाती है।

भारत सरकार द्वारा संचालित अखिल भारतीय मुख्य ग्राम-योजना का निरीक्षण किया जा चुका है और अनुमानित बजट भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है। ऐसी आशा है कि इस राज्य को केन्द्र से प्र ए़ वि संबंधी लाभ तब ही निकल सकेगा जब इस राज्य के पशु अभिजनन क्षेत्रों में कृत्रिम बीजारोपण केन्द्रों सहित चार मुख्य ग्राम केन्द्र स्थापित किए जायेंगे।

राजस्थान सरकार ने गोसेवा संघ वर्धा को सवाई माधोपुर के पास इन्दाला में एक पशु एकत्रीकरण कैम्प खोलने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की है। यह कैम्प गत तीन वर्षों से कार्य कर रहा है। समस्त बेकार पशु स्वाभाविक रूप से मृत्यु को प्राप्त होने के लिए वहां भेज दिए जाते हैं। इस प्रकार वृद्ध और निकृष्ट सांडों को नस्ल बिगाड़ने से रोका जाता है।

इसके अतिरिक्त गांवों में इस विभाग के पशु-पालन उप-विभाग द्वारा निकृष्ट सांडों को खस्सी कर दिया जाता है। इस प्रकार ये पशु आगे पशु अभिजनन के काय के लिए अयोग्य बना दिये जाते हैं।

पशुओं को समय पर निवारक टीके लगाये जाकर संक्रामक रोगों द्वारा विनाश से बचाया जाता है ।

जब कभी विभाग से मांग की जाती है तब चारे की सामग्री जुटाने का भी प्रयत्न किया जाता है ।

पशु-पालन के संबन्ध में सरकार की निश्चित नीति संक्षेप में निम्न प्रकार वर्णन की जा सकती है:-

(१) उन्नतिशील सांडों और कृत्रिम बीजारोपण द्वारा नियंत्रित पशु अभिजनन ।

(२) लोगों को संतुलित चारे, एकत्रीकरण तथा जहां संभव हो वहां चारे की फसलें उगाने के लाभ बतलाकर चराई की वर्तमान रीतियों में सुधार ।

(३) उत्तम प्रबन्ध के तरीकों का प्रचार ।

एक सदस्य:-क्या यह बात सही है कि गोचर भूमि भी किसानों और मालियों को साग सब्जी बोने के लिए दे दी गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:-मैं समझता हूं कि यह प्रश्न से संबंध नहीं रखता ।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़):-क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि किन किन स्थानों पर कितने सांड छोड़े गये हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:-इसका जवाब मैं पिछले समय दे चुका हूं ।

श्री मानसिंह:-क्या यह सही है कि उदयपुर में सबसे ज्यादा सांड छोड़े गये हैं ?

श्री कपिलदेव:-क्या सरकार जमुवा रामगढ़ में कोई सांड छोड़ने का विचार करती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:-मैं समझता हूं कि वहां पर पहले से ही सांड मौजूद है ।

प्रश्न सख्या २६८

श्री भैरूंसिंह (वि. सं. १६):-क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग के एक उच्च अधिकारी, श्री हरिसिंह, ने किशनगढ़ क्षेत्र के माह जुलाई व अगस्त, सन् १९५२, में कितने दौरे किये ?

श्री रामकरण जोशी:-उक्त व्यक्ति ने उक्त समय में उक्त स्थानों और उक्त जिलों में एक दौरा किया ।

श्री तनसिंहः–उक्त अधिकारी कितने दिन तक छुट्टी में इस समय में रहे ?

श्रीरामकरण जोशीः–इस का जवाब में नोटिस बगैर नहीं दे सकता ।

श्री एच. के. व्यासः–कितने दिनों का दौरा था ?

श्री रामकरण जोशीः–चार दिन का दौरा था ।

श्री भैरूंसिंहः–किन किन स्थानों का दौरा किया ।

श्री रामकरण जोशीः–उक्त स्थानों की पंचायतों का दौरा किया ।

श्री जसवन्तसिंहः--क्या आप उन पंचायतों के नाम बतावेंगे ।

श्री जसवन्तसिंहः--उनके पास किसी दल की तरफ से शिकायत भी किसी प्रकार की गई थी ?

श्री रामकरण जोशीः--नहीं ।

श्री जसवन्तसिंहः–यह मैं अफसोस के साथ कह रहा हूं कि यह उत्तर सही नहीं है ।

श्री रामकिशोर व्यासः-अफसोस करने की जिसकी आदत होती है में समझता हूं अफसोस करते ही हैं ।

श्री जसवन्तसिंहः-झूठ बोलने की जिसकी आदत पड़ी हो वह झूठ बोलेगा ही ।

प्रश्न सं० २६६

श्री भैरूंसिंहः–क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(अ) जयपुर से बोंराज, जोबनेर, किशनगढ़, रेनवाल, दांता रामगढ़, लोसल होती हुई सीकर जाने वाली सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है ?

(आ) क्या सरकार को मालूम है कि यह सड़क न होने के कारण वहां की जनता का उद्योग एवं व्यापार नष्ट सा हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस संबन्ध में शीघ्र ही कोई कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कैसे और कब तक ?

श्री भोलानाथः—(अ) मेहलां से जोबनेर तक बोंराज होती हुई १३ मील के सड़क के टुकड़े का काम तो जारी है, बाकी हिस्से के लिए कार्यवाही की जायगी ।

(ब) सडकें बनाने की सभी हिस्सों में आवश्यकता है । व्यापार एवं अन्य तरक्कियों के लिए लेकिन सुविधा की दृष्टि से, सभी काम हाथ में लिये जा सकते हैं ।

श्री भैरूंसिंह (डि. नं. १६):—क्या यह सड़क सरकारी पंच वर्षीय योजना में नहीं है ?

श्री भोलानाथः—पंचवर्षीय योजना में १३ मील का टुकड़ा बनाने का विचार है ।

प्रश्न संख्या २७०

श्री संग्रामसिंह (वि. सं. १३४):—क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) इस साल किसानों को बीज बोने के लिये नहीं मिल रहा है ?

(ख) जब कि सीजन बोने का जा रहा है फिर भी बीज की दुकानें अभी तक नहीं खुलाई गई हैं और न कोई और व्यवस्था ही की गई है ?

श्री भोगीलाल पंड्याः—(क) सरकार ने इस वर्ष १,५२,००० मन चना और १,०३,००० मन गेहूं बीज के लिये वितरित किया है ।

(ख) सरकार के पास बीज के वितरण के लिए दुकानें नहीं खोलने की कोई शिकायत नहीं आई है । जिन २ जिलों के कलेक्टरों से बीज की मांग आई थी उसके अनुसार सरकार ने गल्ले के स्टाक को ध्यान में रखते हुए बीज भेजा है ।

श्री सोहनलाल भटनागरः—क्या कई एम. एल. एज. ने आपके पास शिकायत नहीं की है ?

श्री भोगीलाल पंड्याः—उनके शिकायत करने से पहले ही वहां बीज भेज दिया गया था, इसलिये शिकायतों का कोई महत्व नहीं रहा है ।

श्री रोशनलालः—बीज की जरूरत जिन-जिन क्षेत्रों में थी वहां पहुंच गया और किसानों को अनाज मिल गया या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्याः—सरकार ने अपने नियमानुसार स्थापित केन्द्रों पर पहुंचा दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिलाधीशों ने उसको यथास्थान बराबर पहुंचा दिया होगा ।

श्री रोशनलालः—उदयपुर में बीज कहां २ पहुंचा है, क्या मंत्री महोदय यह बता सकेंगे ?

श्री भोगीलाल पंड्या–यह चीज माननीय सदस्य जिलाधीशों से मालूम कर सकते थे ।

सरकार ने बीज बराबर उदयपुर भेज दिया था और काफी समय पहले भेज दिया था । मेरे पास लिस्ट मौजूद है कि कहां २ अनाज भेजा गया है। यदि माननीय सदस्य कहेंगे तो वह टेबल पर रखदी जायगी ।

श्री रोशनलाल:–मुझे फौन द्वारा मालूम हुआ है कि अनाज स्टेशन उदयपुर के ऊपर ही पड़ा हुआ है: क्या यह सही है ?

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़):–क्या यह सच है कि डूंगरपुर में काफी तादाद में चना भेजा गया है और पहाड़ी इलाका होते हुए भी वहां चना कैसे भेजा गया है ? वह वहां बोया नहीं गया है और पड़ा हुआ है ।

श्री भोगीलाल पंड्या:–डूंगरपुर ज़िले से माननीय सदस्य एकदम अनभिज्ञ हैं । वहां काफी चना पैदा होता है; यह उनको मालूम होना चाहिए । यहां बैठ बैठे आपको मालूम नहीं हो सकता है ।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़):–वहां चने की काश्त नहीं होती है और वह बीज पड़ा हुआ है; मैं इसका उत्तर चाहता हूं ।

श्री भोगीलाल पंड्या:–वहां कोई चना पड़ा हुआ नहीं है । जितना बीज चाहा गया था उतना बीज भेजा गया था ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु:–गंगानगर जिले में बीज तकसीम किया गया है या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या:–जी हां, गंगानगर में २०,००० मन गेहूं दिया गया है और ४०,००० मन तक चना दिया गया है ।

श्री संतोषसिंह:–क्या जोधपुर में जो बीज के लिए धान आया है वह अधिकतर सुला (लगा) हुआ है ?

श्री भोगीलाल पंड्या:–जी नहीं, बीज नया भेजा गया है ; इसी साल का भेजा गया है । सुला हुआ बीज नहीं गया है ।

श्री रामदयाल उपाध्याय:–सबसे अधिक बीज कहां भेजा गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या:–सबसे अधिक गंगानगर जिले में दिया गया है ।

श्री कानसिंह:–सबसे कम कहां दिया गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या:--जैसलमेर में ।

(करतल ध्वनि)

श्री शंभू सिंह:--भीलवाड़ा जिले में किन २ स्थानों पर भेजा गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या:--जिले में जो बीज भेजा गया है वह स्थान आपको बता सकता हूं ।

श्री भैरूंसिंह केलवा:--बीज कब तक भेजा गया है, समय से पहले या बाद में ?

श्री भोगीलाल पंड्या:--बोने से महीने भर पहले ।

श्री रामदयाल उपाध्याय:--क्या जो अनाज भीलवाड़े भेजा गया था वह गल्ती से उदयपुर पहुंच गया था ?

श्री भोगीलाल पंड्या:--उदयपुर पहुंचने पर बाद में वापिस रिटर्न कर दिया है और यथास्थान भेज दिया गया है ।

श्री रामदयाल उपाध्याय--क्या जिसकी गल्ती थी उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की जायगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या:--अवश्य, इसके लिए कानूनी कार्यवाही की जायगी ।

प्रश्न संख्या २७१

श्री रोशनलाल शर्मा:--क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(क) उदयपुर जिले में भील (मीणे) गरासियों की किन किन तहसीलों-उप-तहसीलों में कितनी कितनी जनसंख्या है ?

(ख) उदयपुर जिले की कौनसी कौनसी तहसीलों को अनुसूचित क्षेत्र में लेने के विषय में भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को सिफारिश की है ?

(ग) यह अनुसूचित क्षेत्र कब तक घोषित हो जावेगा ?

(घ) राष्ट्रपति की घोषणा के अनुसार उदयपुर के अनुसूचित क्षेत्र को विकास के लिये दस वर्ष मिलेंगे या नहीं; नहीं तो क्यों ?

श्री भोगीलाल पंड्या: —(क) उदयपुर जिले की निम्नलिखित तहसीलों में भील (मीणे) और गरासियों की संख्या जो सरकार को प्राप्त हुई हैं वह निम्नलिखित है:—

	भील	गरासिया	मीणा
भोम	१,२०८	×	८
फलासिया	२१,७३२	३,१३३	२
कोटड़ा	२५,७६९	११,०८३	३६
लसाड़िया	३७७	१	५००
सराड़ा (सब डिविजन)	१३,८९५	९१४	६२,३५३

बाकी तहसीलों की भील (मीणों) व गरासियों की जनसंख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) सरकार ने उदयपुर जिले की निम्नलिखित तहसीलों को अनुसूचित क्षेत्र में लिये जाने के लिये मई सन ५१ में भारत सरकार से सिफारिस की थी:—

फलासिया
कोटड़ा
खेरवाड़ा
लसाड़िया
सालूम्बर, और
सराड़ा

(ग) सरकार इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा करना भारत सरकार पर निर्भर है ।

(घ) चूंकि उदयपुर जिले में कोई अनुसूचित क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है, इसलिए ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सोहनलाल भटनागर:—उजले मीणे और भील मीणों में क्या फर्क है ?

श्री भोगीलाल पंड्या:—भील अपने आपको मीणा कहते हैं इसलिये उनको भील मीणा कहा जाता है । दूसरे मीणे जो हैं वे अपने आप को मीणा ही कहते हैं ।

श्री सोहनलाल भटनागर:—उदयपुर जिले में कोई अनुसूचित क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है फिर भी वहां अनुसूचित वन जातियों के लिये एक सीट रिजर्व रख दी गई है जो कि अनुसूचित क्षेत्र के एक भील को दी गई; यह क्यों ?

(चुप्पी)

श्री रोशनलाल शर्मा:—क्या गिरवा तहसील के अन्दर भील नहीं है ?

श्री भोगीलाल पंड्या:—बहुत थोड़े हैं। जिनकी सूची आई है, उनमें इनकी संख्या नहीं हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर:—मैंने यह पूछा था कि वहां अनुसूचित क्षेत्र वाले को सीट क्यों दी गई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या:—यह एक वैधानिक प्रश्न है। भारत सरकार की आज्ञा थी इसलिए रखी गई है।

श्री रोशनलाल शर्मा:—बेकवर्ड क्लासेज डिपार्टमेन्ट की ओर से, जो आदिवासियों के काम के लिये है, अभी तक उदयपुर जिले में जन संख्या कितनी है ? वह एकत्रित नहीं की है क्या ?

श्री भोगीलाल पंड्या:—यह सन् १९५१ के आंकड़े हैं। कहां—कहां कितने—कितने हैं। उसकी संख्या अलग अलग मालूम नहीं की गई है। अगर आप कहेंगे तो फिर मंगाई जा सकती है। गिरवा में संख्या बहुत ही कम है।

श्री रोशनलाल शर्मा:—सराड़ा से उदयपुर तक भील ही भील रहते हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या:—मैंने अपने उत्तर में बताया था। कुछ जगह १—२ तहसीलें ऐसी हैं जहां की संख्या उपलब्ध नहीं हो सकी है ? इसलिए उसका प्रश्न ही नहीं उठ सकता है।

श्री सोहनलाल भटनागर:—क्या इसकी विषमता बतलायेंगे कि अनुसूचित क्षेत्र के भील को, गैर अनुसूचित क्षेत्र में जो अनुसूचित वन जातियों की सीट मिली वह सीट क्यों दी गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या:—मैंने आपको बतलाया था कि भारत सरकार ने भील को थ्रू आउट दी स्टेट अनुसूचित वन जाति नहीं माना था। भील को उन्होंने थ्रू आउट दी शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब माना था। उन्होंने शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए उदयपुर जिले में एक जगह रखी थी। इसलिए वहां ऐसा किया गया है।

श्री रोशनलाल शर्मा:—क्या इस क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र घोषित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या:—मैं आपको अपने उत्तर में बता चुका हूं। अगर ध्यानपूर्वक आपने सुना होता तो यह प्रश्न नहीं उठ सकता था।

प्रश्न संख्या २७२

श्री रोशनलाल शर्मा: -क्या वन मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उदयपुर के महाराणा को कौन कौन से जंगल निजी उपयोग के लिये दिये गये हैं ? उनका कितना रकबा है ? उनसे कौन कौन सी सुविधायें प्राप्त हैं ?

श्री अमृतलाल यादव:–हिज हाइनेस महाराणा उदयपुर को निम्नलिखित जंगलों से जंगलात के कानून के आधार पर अपने हाउसहोल्ड के मारफत लकड़ी व घास इकट्ठी करने का अधिकार है:--

१. नाहरमगरा,

२. आमली का बीड़

३. कैवड़ा की नाल

४. बाकी का जंगल

२. हरिदासजी की मगरी मय मकानात के उनकी निजी सम्पत्ति मानी गई है।

३. निम्नलिखित जंगलों व पहाड़ियों पर उनको शिकार का अधिकार दिया गया है।

(१) नाहरमगरा, (२) रानी कुड़ी बीड़, (३) खैरादी मगरा, (४) हिगलज्या, (५) कमलोद, (६) वागदड़ा, (७) होड, (८) सुखजर, (९) आमजर, (१०) बड़ी हथनी, (११) छोटी हथनी, (१२) अवदियाना, (१३) डाडन, (१४) मीकी की पाज, (१५) निलया, (१६) बोकड़िया कलरा, (१७) पलोदड़ा, से जयसमन्द जाने वाली सड़क के पूर्व की ओर की तमाम पहाड़ियां और नीचे लिखी पाल से पलोदड़ा वाया चांद घाटी की तमाम पहाड़ियां–

(१) लोदिया, (२) सूरमगरी, (३) केरमगरी, (४) कोटवाला, (५) महावाला, (६) धूनियावाला, (७) छटपुरिया, (८) उदयमूल, (९) कंथोड़ा, (१०) पहाड़ी, (११) बूटवास, (१२) रक्या, (१३) पालू, (१४) गूगी, (१५) चोड़ा पहाड़ियों की पश्चिम ओर, (१६) सागड़ी, (१७) बन्ना, (१८) उदपुरिया, (१९) दिनगरी,

जयसमन्द मिल्कियत से हिज हाईनेस महाराणा को घास लकड़ी लेने का अधिकार है।

(४) नीचे दर्ज शुदा तालाब व झीलों में मच्छी मारने का अधिकार प्राप्त है:–

(१) पिछोला, (२) फतहसागर, (३) उदयसागर, (४) जयसमुद्र (५) राजसमुद्र (६) बड़ी, (७) खेमली का तालाब, (८) भटेवर, (९) खेड़ी का तालाब ।

५. नीचे दर्ज शुदा पहाड़ियों में शिकार करने का अधिकार प्राप्त है।

(१) माछला, (२) टिकल्या, (३) शिकारवाड़ी (४) बाकी, (५) सालरिया धमनिया, (६) सज्जनगढ़, (७) तलावली का वाट और केलर

श्री हरिदेव जोशी:—क्या मंत्री महोदय को पता है कि इस प्रकार जो जंगल दिये गये हैं उनकी आमदनी से व्यापार किया जाता है ?

श्री अमृतलाल यादव:—ऐसा कोई पता नहीं।

श्री हरिदेव जोशी:—क्या इस बारे में माननीय मंत्री के पास शिकायतें नहीं पहुंचाई गई ?

श्री अमृतलाल यादव:-शिकायतें अगर आई होंगी तो जांच पड़ताल चल रही होगी।

श्री हरिदेव जोशी:—मेरा यह प्रश्न है कि क्या इस बारे में शिकायतें माननीय मंत्री के पास नहीं पहुंचाई गई ?

श्री अमृतलाल यादव:—मैंने अर्ज किया कि यदि शिकायतें आई होंगी तो उनकी जांच चल रही होगी; जांच होने पर वाजिब कार्यवाही की जासकती है।

श्री सोहनलाल भटनागर:—राजा महाराजाओं के काम के ऊपर प्रोविन्शियल सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर सकती ?

श्री अमृतलाल यादव:—कावेनेन्ट के अनुसार यह राइट दिया गया है कि इन जंगलों का उपयोग अपने निजी प्रयोग के लिए कर सकते हैं; बेचने के लिए नहीं। अगर बेचने की कोई बात पाई जायगी तो उसके लिये कार्यवाही की जायगी।

श्री हरिदेव जोशी:- मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरपुर में इसके लिए बोली दी जाती है: अब भी कोई जांच की चीज बाकी रह गई है ?

श्री अमृतलाल यादव:—डूंगरपुर का सवाल यहां नहीं पूछा गया है।

श्री सोहनलाल:—जैसा कि आपने बताया कि निजी उपयोग के लिए प्रयोग कर सकते है; "निजी" का मतलब अपने परिवार से ही है या आसपास के रहने वाले भी इसका उपयोग कर सकते हैं ?

श्री अमृतलाल:—"निजी उपयोग" का मतलब निजी परिवार से है।

श्री रामदयाल उपाध्याय:—माननीय मंत्री "परिवार" की परिभाषा कर सकते हैं ?

श्री सन्तोषसिंह:—माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि इतने सारे जंगल, जो महाराणा को दिये हुए हैं उसकी सारी लकड़ी अगर खर्च में नहीं आयगी तो क्या बेची जायगी ?

श्री अमृतलाल यादव:—वह जंगलों में रहेगी ।

प्रश्न संख्या २७३

श्री रोशनलाल शर्मा:—क्या वन मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(अ) राजस्थान सरकार हर वर्ष कितना रुपया पश्चिमी क्षेत्र वन विभाग में खर्च करती है ?

(ख) यह भी बतावें कि इसमें से कितना नये जंगल लगाने एवं सरकारी स्टाफ में खर्च होता है ?

(ग) इन चार वर्षों में कितने जंगल नये लगाये और वे कौन कौन से क्षेत्र में हैं एवं कितने वर्ग मील हैं ?

श्री अमृतलाल यादव:—

क.	सन्	१९५०-५१	१३,१६,२८० रुपये
	सन्	१९५१-५२	१२,९२,७५० रुपये
	सन्	१९५२-५३	११,४०,६२० रुपये

ख. सन्	नये जंगल लगाने में खर्च हुआ	सरकारी स्टाफ में खर्च हुआ
१९५०-५१	९०,००० रुपये	१०,५२,५५४ रुपये
१९५१-५२	१,३१,३५६ रुपये	९,१५,३०४ रुपये
१९५२-५३	१,२३,७५० रुपये	९,०२,०६० रुपये

ग. राजस्थान में समस्त रियासतों के विलिनीकरण के पश्चात् यह आवश्यक समझा गया कि जो जंगल महकमे के तहत आये हैं उनकी हिफाजत की जावे और अभी तक उसही तरफ ज्यादा तवज्जोह दी गई है । हर साल एक्सपेरिमेन्टल प्लान्टेशन व आरबोरिकलचर की मद में राजस्थान सरकार काफी रुपया खर्च करती है और अब नये जंगल लगाने के लिये स्कीम भी पेश की गई है।

इसके अतिरिक्त नये जंगल लगाने के लिये हाल ही में इम्मोबिलीजेशन ओफ राजस्थान डेजर्ट स्कीम के तहत एक रिसर्च स्टेशन जोधपुर में कायम किया गया है और पंचवर्षीय योजना में जो करीब २१ लाख रुपये मंजूर हुए हैं उसके तहत नये जंगल लगाने की कार्यवाही प्रारम्भ की जायगी।

श्री रोशनलाल शर्मा:—मेरा प्रश्न (ग) का उत्तर नहीं आया जिसमें पूछा गया था कि इन चार वर्षों में कितने जंगल नये लगाये और वे कौन कौन से क्षेत्र में हैं; एवं कितना वर्ग मील है?

श्री अमृतलाल यादव:—मैंने इस विषय में अर्ज किया था कि इस तरह के बिलकुल नये जंगल नहीं लगाये गये। जो जंगल या पहाड़ियां उजड़ी हुई थीं, जिनके ऊपर से पेड़ काट लिये गये थे, जो पहाड़ियां पेड़ों के कट जाने से नंगी हो गई थीं, उन पर जंगल लगाने में यह रकम खर्च की गई है।

श्री रोशनलाल:—क्या उन पहाड़ियों के नाम बता सकते हैं?

श्री अमृतलाल यादव:—यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो उनके नाम टेबल पर रख दिये जायेंगे।

श्री रोशनलाल:—कितने वर्ग मील क्षेत्र में नये जंगल लगाये गये?

श्री अमृतलाल यादव:—इन चार वर्षों में कोई नया जंगल नहीं लगाया गया।

श्री रोशनलाल:—जो जंगल हरे भरे बनाये गये वे ही बता दीजिये?

श्री अमृतलाल यादव:—जो जंगल कटे है, जो पहाड़ियां पेड़ों के कट जाने से नंगी हो गई थीं उदयपुर जिले में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में, ऐसे जंगल और पहाड़ियां अधिकतर हैं वहां पर यह रकम खर्च की गई।

श्री जसवन्तसिंह:—बीकानेर जैसे रेगिस्तानी प्रदेश में, मैं जंगलों का तो दावा नहीं कर सकता किन्तु जो थोड़े बहुत पेड़ हैं उनको जड़ों से काट रहे हैं यह बात क्या माननीय मंत्री के ध्यान में है?

श्री अमृतलाल यादव:—इस सूचना के लिए मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं। इसके लिए उचित इन्तजाम किया जायगा और सख्ती के साथ कार्यवाही की जायगी।

प्रश्न संख्या २७४

श्री रोशनलाल:—क्या उद्योग मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उदयपुर में जो कप (कपड़ा) मील खोलने के लिए सरकार के पास योजना है वह कब तक कार्यान्वित हो जावेगी?

श्री रामकिशोर व्यास:—यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है; बहुत जल्दी निर्णय कर दिया जायगा।

श्री रामदयाल उपाध्याय:--माननीय मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह "कप" शब्द लिखा हुआ है इससे क्या मतलब है ?

श्री रामकिशोर व्यास:--"कप मील" के मायने हैं "कपड़ा मील"।

प्रश्न संख्या २७५

श्री रोशनलाल शर्मा:--क्या शिक्षा मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

क. इस वर्ष कक्षा ६ में इतिहास तथा संस्कृत की जो पुस्तकें स्वीकृत कीं उनका लेखक कौन है ?

ख. क्या टेक्स्ट बुक कमेटी के सदस्य एवं विभागीय अध्यक्ष की पुस्तक भी राजस्थान सरकार मन्जूर कर सकती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा:--

१. लेखकों के नाम यह हैं:--

(क) इतिहास की पुस्तकों के:--

(१) प्राचीन भारत और नागरिक शास्त्र	मिस रामप्यारी शास्त्री एम.ए., प्रिंसिपल, गर्ल्स कॉलेज, कोटा ।
(२) प्राचीन भारत और सामाजिक जीवन	श्री कुंज विहारीलाल गुप्ता एम.ए., महारानी जया कॉलेज, भरतपुर ।

(ख) संस्कृत की पुस्तकों के:--

(१) संस्कृत बोध	मिस रामप्यारी शास्त्री एम. ए., प्रिंसिपल, गर्ल्स कॉलेज, कोटा ।
(२) संस्कृत प्रतिभा	श्री लक्ष्मीचंद मिश्रा'- संस्कृत अध्यापक, राम पुरिया इंटर कॉलेज, बीकानेर ।

२. शिक्षा विभाग के संचालक या टेक्स्ट बुक कमेटी के किसी सदस्य को अपनी पुस्तकें प्रस्तुत नहीं करनी चाहिये और अब तक शिक्षा विभाग के संचालक या टेक्स्ट बुक कमेटी के किसी भी सदस्य ने कोई पुस्तक न तो प्रस्तुत की है और न ही कोई ऐसी पुस्तक स्वीकार की गई है ।

श्री कपिलदेवः–टेक्स्ट बुक कमेटी में शामिल किये जाने वाले सदस्यों की क्या कोई खास योग्यता होती है ?

श्री नाथूराम मिर्धाः–अलग अलग विषयों के, अलग अलग क्षेत्र में जो जानकार होते हैं, उन्हें ही टैक्स्ट बुक कमेटी में लिया जाता है ।

श्री तनसिंहः-लेखक गण, जितने बताये गये, उनमें से कोई टैक्स्ट बुक कमेटी का मेम्बर नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धाः–जी नहीं ।

श्री रोशनलालः--क्या इस विभाग को राजनीति से अलग रखा जायगा ?

श्री नाथूराम मिर्धाः–जहां तक बन पड़ेगा इस चीज से बिल्कुल अलग रखा जायगा ।

श्री रोशनलालः–माननीय मंत्री महोदय यह बतलायेंगे कि जब यह पुस्तक लिखी गई थी तो खासतौर से टैक्स्ट बुक कमेटी के एक सदस्य ने इसका विरोध किया था कि यह विभागीय अध्यक्ष द्वारा लिखी हुई ह ।

श्री नाथूराम मिर्धाः–हां, ऐसा किसी एक सदस्य ने कहा था; लेकिन यह बात संच नहीं निकली ।

श्री रोशनलालः–क्या पुस्तक पर लेखक का नाम लिखा जाना जरूरी नहीं ?

श्री अमृतलाल यादवः–नाम लिखने व न लिखने के लिए हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते ।

श्री रोशनलालः–क्या यह शिक्षा विभाग को मालूम है कि यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है; विभागीय जानकारी तो होगी ?

श्री नाथूराम मिर्धाः–किताबें ज्यादातर पब्लिशर्स के थ्रू आती हैं, पब्लिशर्स का नाम होता है । हमें लेखक का नाम जानने की आवश्यकता नहीं ।

श्री हरिकृष्ण व्यासः–माननीय शिक्षा मंत्री ने फरमाया कि जहां तक मुमकिन होगा वहां तक इसे राजनीति से अलग रखा जावेगा; तो कहां तक मुमकिन नहीं होगा ? इस बारे में मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री जयनारायण व्यासः–यह एक मेटर ऑफ पोलिसी का सवाल है। मैं नहीं समझता हूं कि शिक्षा की पुस्तकों का ताल्लुक राजनीति से सम्बन्धित व्यक्ति से न हो । कोई भी विद्वान लेखक राजनीति में भी पड़ा हो तो वह उसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। जहां तक मैं समझता हूं इसका यही स्पष्टीकरण हो सकता है ।

श्री कपिलदेव:–अभी माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया है और देने को तैयार हैं कि शिक्षण संस्थाओं से सम्बन्धित कोई भी टेक्स्ट बुक कमेटी में नहीं लिया जावेगा। उस सिलसिले में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि क्या कोई विद्वान लेखक उनके अलादा मिलेगा तो वह नहीं लिया जावेगा क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा:–जितने आदमी मिलेंगे और जितनों की आवश्यकता होगी उतने लिये जा सकेंगे।

श्री अध्यक्ष:– नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २७६

श्री रोशनलाल शर्मा:–क्या स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

उदयपुर के होस्पिटल को जो 'ए' क्लास बनाने का आश्वासन सरकार ने दिया है वह कब तक कार्यान्वित किया जावेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास:–सरकार की वर्तमान आर्थिक स्थिति के कारण उदयपुर के हॉस्पिटल को 'ए' क्लास बनाना सम्भव नहीं होगा। मामला अभी विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष:–नेक्स्ट, ।

प्रश्न संख्या २७७

श्री दिलीपसिंह:–Will the Chief Minister be pleased to state:—

Why Vallabhnagar Tehsil is being abolished ?

श्री टीकाराम पालीवाल:–सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष:–नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २७८

श्री दिलीपसिंह:–Will the Chief Minister be pleased to state:—

How many Tehsils in Udaipur District are being abolished and why ?

श्री टीकाराम पालीवाल:–इस प्रश्न का भी वही उत्तर है कि सरकार ने अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष:–नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २७६

श्री दिलीपसिंह:—Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) How many Ex-soldiers have been settled so far and how many are given different jobs?

(b) Whether there had been any declaration made by Rajpramukh at Kherwara for settling Ex-Bhil Sepoys and constables Resettlement on new land reserved?

(c) How many have received the benefit of this land so far?

(d) What steps have been taken so far to execute the policy?

श्री टीकाराम पालीवाल:—(अ) अब तक ५४७ भूतपूर्व सैनिकों को कृषि भूमि पर बसाया गया है। सन् १९५१ में ७२८ और सन् १९५२ में अब तक १५०४ भूतपूर्व सैनिकों को विभिन्न प्रकार के रोजगार दिलाये गये हैं।

(ब) हां। खेरवाड़ा मुकाम पर श्रीमन् राजप्रमुख महोदय ने घोषणा की थी कि पुर्ननिर्माण और पुनःसंस्थापन के लिए भूतपूर्व भील सैनिकों को मुनासिब रकम दी जायगी; बशर्ते कि उक्त नीति के अनुकूल हो।

(स) इस विषय में सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ड) कुल महकमेजात को तामील करने के लिए सूचना देदी गई है।

श्री जसवन्तसिंह:—अभी हमें यह जानकारी कराई गई थी कि राजस्थान के नये मुख्य मंत्री होगये हैं। मुख्य मंत्री से सम्बन्धित प्रश्नों का जवाब अभी भी श्री पालीवालजी ही क्यों दे रहे हैं?

श्री अध्यक्ष:—This relates to portfolio.

श्री दिलीपसिंह:—मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने परसेन्ट एक्स सोल्जर्स अभी तक सेटल हो चुके हैं?

श्री टीकाराम पालीवाल:—पहले सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन का उत्तर दे दूं। अभी अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि यह उत्तर मेरे विभाग से सम्बन्धित है और इसीलिए इसका उत्तर मेरी ओर से दिया गया था। यह प्रश्न क्यों उठाया गया, यह मेरी समझ में नहीं आया। विरोधी दल के नेता तो बहुत पहले ही पार्लियामेन्टेरियन रह चुके हैं।

परसेन्टेज बताना इस समय इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। मैं आपको डेफिनिट संख्या बता चुका हूं।

श्री दिलीपसिंह:—मैं यह जानना चहता हूं कि ८० हजार सोल्जर्स डिस्बेन्ड हुए थे; उनमें कितनों को काम पर लगाया गया तथा उसका परसेन्टेज क्या रहा ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—इस जानकारी के लिये धन्यवाद। ८० हजार की संख्या निश्चित है ऐसा मैं नहीं मानता।

श्री अध्यक्ष:—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २८०

श्री दिलीपसिंह:--Will the Minister Incharge of Separate Revenue Department be pleased to state.—

(a) Whether it is a fact that contract of Udaipur distillery has been given to the same contractor ?

(b) Was it auctioned ?

श्री भोलानाथ:—(अ) पुराने कोन्ट्रेक्टर को ही यह पांच साल के लिए रिन्यू किया गया है।

(ब) यह सवाल उपस्थित नहीं होता।

एक सदस्य:--क्या इसके लिए कोई टेन्डर नहीं लिया गया ?

श्री भोलानाथ:—उचित नहीं समझा गया।

श्री जसवन्तसिंह:—कान्ट्रेक्ट रिन्यू करने के कौनसे ऐसे वजुहात थे ?

श्री भोलानाथ:—माननीय अॅपोजिशन के नेता को मालूम है कि उन्होंने ही इसकी सेन्क्शन दी थी।

श्री जसवन्तसिंह:—इसके टेन्डर क्यों नहीं इन्वाइट किये गये ?

श्री भोलानाथ:—कान्ट्रेक्ट को रिन्यु करना ही प्रोफिटेबल था।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:--यह ठेका कब रिन्यु किया गया, मैं यह जानना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय से ?

श्री भोलानाथ:—यह ठेका अप्रेल महीने में रिन्यू किया गया था, किन्तु इसकी सेंक्शन पहले ही हो चुकी थी।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:--क्या अप्रेल १९५२ में ?

श्री भोलानाथ:--जी हां।

श्री रामदयाल उपाध्याय:—और डिविजनों में भी क्या इसी तरह के पांच साल के ठेके रिन्यू किये गये हैं ?

श्री भोलानाथ:—जहां जरूरत होती है किये जाते हैं।

श्री संतोषसिंह:—मैं यह माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि इसका ठेका पहले कितने रुपयों में था और रिन्यू कितने रुपयों मे किया गया है ?

श्री भोलानाथ:—इनके दो ठेके थे। एक तो शाहपुरा में और दूसरा उदयपुर में। पहले ४) रुपया था और अब ३।।।) रुपये की रेट पर विचार किया जा रहा है मैं यह पहले ही बता चुका हूं कि रेट अभी तक तय नहीं हुई है।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—मैं यह जानना चाहता हूं कि अमूमन जब ऐसे मौके आते हैं तो इस सम्बन्ध में गवर्नमेन्ट की क्या पॉलिसी है ? ओक्शन करने की है या रिन्यू करने की है ?

श्री भोलानाथ:—जैसी पार्टी होती है, जैसा काम होता है और गवर्नमेन्ट अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पोइन्ट ऑफ व्यू से जैसा आवश्यक समझती है, वैसा करती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—तो क्या कोई अमूमन पोलिसी नहीं है ?

श्री अध्यक्ष:—The Hon'ble Member seems too much to be interested in distillation.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अप्रेल सन् १९५२ में क्या माननीय जसवन्तसिंहजी इस विभाग के अध्यक्ष थे ?

श्री भोलानाथ:—२ मार्च सन् १९५२ को माननीय जसवन्तसिंहजी इस विभाग के मंत्री थे। इस सम्बन्ध में आज्ञा हो चुकी थी। अगर आप डेफिनिट डेट इस सम्बन्ध में चाहते हैं तो वह भी मैं बता सकता हूं।

श्री इन्द्रनाथ मोदी—अभी आपने हाउस को यह सूचना दी थी कि यह अप्रेल सन् १९५२ को रिन्यू किया गया था। तो क्या माननीय जसवन्तसिंहजी अप्रेल ५२ में इस विभाग के अध्यक्ष थे ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—मैं इसका उत्तर दे दूं। स्थिति यह थी कि नई सरकार के बनने से पूर्व ही इसकी सेन्क्शन दी जा चुकी थी और सेन्क्शन देते

समय माननीय जसवन्तसिंहजी इस विभाग के मंत्री थे । जो सेन्क्शन दी जाती है उन पर नई सरकार द्वारा पुरानी सरकार की सेन्क्शन दिये गये मामलों पर दुबारा जांच करना संभव नहीं होता । अतः उसी सेन्कशन के अनुसार यह रिन्यू किया गया ।

श्री भोलानाथः—इसकी सेन्क्शन २०-२-५२ को श्री जसवन्तसिंहजी के द्वारा दी जा चुकी थी ।

श्री कपिलदेवः—इस तरह रिन्यू करने में और टेन्डर न लेने में क्या ज्यादती नहीं होती ? क्या ऐसा भी होना सम्भव नहीं है कि ब्लेक मार्केटिंग हो ?

श्री बी. एन. जोशी:—जब प्रोफिटेबल टर्म्स टेन्डर द्वारा मिल सकती थी तो रिन्यू क्यों किया गया ?

श्री भोलानाथः—में आपको पहले ही बतला चुका हूं कि प्रोफिटेबल समझ कर ही इसको रिन्यू किया गया था । इस डिस्टिलरी को उदयपुर सरकार द्वारा लगाया गया था । इसे पुराने एग्रीमेन्ट के अनुसार लेना जरूरी हो गया था । इसकी वेल्युएशन कराई गई; जो सात लाख की होती है । सरकार ने आर्थिक दृष्टि से इसे लेना जरूरी नहीं समझा । पिछले मिनिस्टर साहब का यह नोट था कि इसका काम बहुत संतोषजनक है; अतः सरकार ने यह उचित समझा कि इस काम में कोई अड़चन न पड़े और प्रोफिटेबल भी हो । रेट्स में फर्क करने के लिए बातचीत चल रही है ।

श्री कपिलदेव—बगैर ऑक्शन किये यह आपको कैसे मालूम हुआ कि उसकी टर्म्स सबसे ज्यादा फेवरेबल थी ?

श्री भोलानाथ—बहुत से कॉन्ट्रेक्ट ऑक्शन से हुए हैं जिनसे इसकी टर्म्स अधिक फेवरेबल थी ।

श्री सन्तोषसिंह—क्या पांच साल खतम होने के बाद भी उसी को कॉन्ट्रेक्ट देने का विचार है ?

श्री भोलानाथ—अभी ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री तनसिंहः—क्या ऑक्शन करने से फेवरेबल टर्म्स अनफेवरेबल हो जाती हैं?

श्री अध्यक्षः—ऑर्डर, ऑर्डर! नेक्स्ट

प्रश्न संख्या २८१

श्री दलीपसिंहः—Will the **Minister in charge of Forest Department** kindly state.—

Whether the grass beed (बीड) of Changeri in Udaipur Division has been allotted to a particular sect (Chamarias only) amongst the Scheduled castes ?

श्री अमृतलाल यादव:–इस वीड़ में से कुछ जमीन हरिजनों को दी गई थी ।

श्री दिलीपसिंह:–क्या यह जमीन सभी तरह के हरिजनों को दी गई थी ?

श्री अमृतलाल यादव:–इसमें दूसरी तरह के हरिजन भी शामिल हैं ।

एक माननीय सदस्य:–कौन कौन सी जाति के दूसरे हरिजन शामिल हैं क्या कृपा करके बतलावेंगे ?

श्री अमृतलाल यादव:–इसके लिये मुझे नोटिस की आवश्यकता है लेकिन यदि सदस्य जानना चाहेंगे तो मैं उनकी जानकारी के लिये लिस्ट टेबल पर रख दूंगा।

श्री कपिलदेव:–This is a very relevant supplementary question.

श्री अध्यक्ष:--He says that he will place it on the table of the House.

श्री कपिलदेव:--But then how can we ask supplementary questions if it is placed on the table of the House.

श्री अध्यक्ष:--Otherwise you can raise half-an-hour discussion.

प्रश्न संख्या २८२

श्री हरिकृष्ण व्यास:—Will the **Minister for Finance** be pleased to answer.—

(*a*) What was the total amount in the Hanwant Benevolent Fund in April, 1949 ?

(*b*) What is it at present ?

(*c*) On what account have the various sums been spent ?

(*d*) The details of these sums may kindly be given ?

श्री नाथूराम मिर्धा:–

(a) Credit Balance (inclusive of Interest receipts) in the Fund on 1st October 1950 was Rs. 9,59,601/7/-. Credit Balance on 1st April 1949 is not readily available.

(b) Credit Balance on 31-3-1952 was Rs. 9,33,833/1/-

(c) & (d) The following debits and credits have appeared in the Account between 1-10-50 and 31-1-52. –

Particulars	Payments	Receipts
1—Salary paid for the period from September 49 to Jan. 1950, ..	470-10-0	..
2—Credit allowed by P. W. D. in the monthly account for November 1949	..	524-12-0
3—Refund to Mst. Mohan Knur cf donation made by her late husband as the money could not be utilised for the purpose for which it was specifically donated.	5000-0-0	..
4—Transfer to Public Works Department in connection with the construction of the dispensary building at Siwana. ..	11,042-0-0	..
5—Payments to the Public Works Department for certain works carried out under the sanction of the Administrative Committee of the Fund.	9,780-8-0	..
	26,293-2-0	**524-12-0**
	25,768-6-0	

Government have taken a decision to utilise the balance in the Fund for the M. B. Engineering College which was started in 1951-52 in Jodhpur.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—Would the Hon'ble Minister let us know the reason why figures are not available ?

श्री नाथूराम मिर्धा:—The figures are not available in the Accountant-General's office this time because some of the figures are at Jodhpur.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—Does it take so long to obtain the figures from Jodhpur?

श्री नाथूराम मिर्धा: —We could not obtain the figures because the time was short and so we could not collect full figures.

श्री हरिकृष्ण व्यास: —Does the Government not consider it necessary to get a track of whatever amounts are available in credit balance in various funds ?

श्री नाथूराम मिर्धा:—जब राजस्थान बना था उस समय कुछ अकाउन्ट्स पुरानी रियासतों के थे उनका पूरा हिसाब राजस्थान सरकार के पास अवेलेबल नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—क्या इस फंड में से कमी या ज्यादा करने का अधिकार रियासत को दे दिया गया था ?

श्री नाथूराम मिर्धा:—मैंने मौजूदा फंड का अकाउन्ट तो बता दिया था । जो पुराना हिसाब अवेलेबल नहीं है वह मैं नहीं बता सकता ।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—सन् १९४९ से १९५१ तक इस फंड का क्या हुआ उसकी जानकारी कैसे प्राप्त होगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा:—यह सारा खर्चा मैं आपको बतला रहा हूं:—

श्री नाथूराम मिर्धा:—

(c)	Water supply ..	.. 5,79,323/12/6
	Education ..	.. 1,81,261/6/0
	Refund of donations	.. 32,000/0/0
	Bank Commission	.. 14,506/3/0
	Administration ..	.. 7,06,035/13/-
	T. A. Bills ..	.. 1,374/8/-
	Contingencies ..	.. 2,620/8/3

Expenditure after account between 1-10-50 and 31-1-52.

Salary paid from the period from September 1949 to January 1950 ..	470/10/0
Receipts of credit allowed by P. W. D. on Monthly Account.	524/12/0
Refund to Mst. Mohan Kaur on account of donation made by her late husband on money which could not be utilised for the purpose for which it was specifically donated	5,000/0/0

Transfer of public debt in connection with construction of dispensary at Siwana ..	11,042/0/0
Payment to P. W. D. for certain works	9,780/5/-
Total ..	**26,293/2/-**
Receipt ..	**424/-/-**

श्री एच के व्यास:—The Hon'ble Minister has not replied to part (d) of my question. I want to know to whom and what amounts exactly have been paid in various accounts so far.

श्री नाथूराम मिर्धा: Because some papers of this Fund have not still been transferred over here to Jaipur; as such the details are not available.

श्री एच. के. व्यास:—Should I think that this question shall be taken up at some future date ?

श्री नाथूराम मिर्धा —Yes. The details can be given at a later date.

प्रश्न संख्या २८३

श्री विशंभरनाथ जोशी:—Will the **Rehabilitation Minister** be pleased to state.—

How many Muslims of Alwar and Bharatpur Districts who were uprooted during the riots of 1947, have been rehabilitated and how many of them have been restored their urban and rural properties ?

श्री अमृतलाल यादव:—Total evacuees about 2 lacs. 41,000 Meos have been rehabilitated in Alwar District and 47,600 Meos and Gaddis have been rehabilitated in Bharatpur District. All rural lands and houses have been restored except those occupied by displaced persons.

श्री मोहम्मद इब्राहिम:—आपने जो संख्या अभी बतलाई है क्या उसमें वे लोग भी शामिल हैं जिनको एक एक बीघा भूमि मिली है ?

श्री अमृतलाल यादव:—इसमें जमीन का कोई सवाल नहीं उठता ।

श्री मोहम्मद इब्राहिम:—जमीन का सवाल उठता है मेरे ख्याल से ।

प्रश्न संख्या २८४

श्री विशंभरनाथ जोशी:–Will the Rehabilitation Minister be pleased to state:—

(*a*) Is the Government aware of a notification that no other Muslim except Meos be rehabilitated in Alwar and Bharatpur Districts ? If so why ? Does such notification not violate the spirit of the Constitution ?

(*b*) What remedies does the Government propose to remove the above restriction ?

(*c*) What step does the Government propose to restore possessions to the Meos of those houses which are either lying vacant or which were forcibly occupied during the riots of 1947 ?

(*d*) Why were such houses not restored as yet ?

श्री अमृतलाल यादव:–(अ) ऐसी कोई विज्ञप्ति नहीं है। पर केन्द्रीय सरकार ने यह तय किया है कि अलवर, भरतपुर में मेवों के अलावा दूसरे मुसलमानों को नहीं बसाया जावे यदि उन पर इवेक्यूइ प्रोपरटीज एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट की १६ धारा नहीं लागू होती है।

(ब) यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता। (स) खाली मकान पहले से ही मेवों को वापिस कर दिये गये हैं। जबरदस्ती खाली कराये हुये मकानों की ओर ध्यान आकर्षित कराने पर उनको वापिस दिलाने की कार्यवाही की जाती है।

श्री मोहम्मद इब्राहिम:–मेवों के अलावा दूसरे मुसलमानों को बसाने के लिये सारे हिन्दुस्तान में कायदा है तो अलवर, भरतपुर में ही ऐसा क्यों नहीं है ?

श्री अमृतलाल यादव:–यह नहीं कहा गया है कि उन्हें नहीं बसाया जायेगा। उनके लिये एक्ट की धारा १६ लागू होती है।

श्री मोहम्मद इब्राहिम:–क्या दफा १६ के मातहत कोई फैसला हुआ है ?

श्री अमृतलाल यादव:–जी हां।

श्री मोहम्मद इब्राहिम:–क्या आप बतलायेंगे कि कितने फैसले हुए हैं ?

श्री अमृतलाल यादव:–इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री मोहम्मद इब्राहिम:–कामा में बहुत से मकानात खाली पड़े हैं। वे मकानात लोगों को क्यों नहीं दिये गये ?

श्री अमृतलाल यादव:–माननीय अध्यक्ष, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि इन दोनों जिलों में मेवों की तादाद काफी ज्यादा थी और दूसरे मुसलमानों की बहुत कम थी इसलिये यह माना गया कि मेवों को र हालत में बसाना है। अब रह जाता है दूसरे मुसलमानों का

सवाल । उनके लिये इवेक्युई प्रोपर्टी एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट के मातहत १६ वीं धारा के मुताबिक अपने आपको इवेक्युई बताना पड़ता है और भारत सरकार से सर्टिफिकेट लाना पड़ता है । इसके बाद में कार्यवाही की जा सकती है ।

श्री इब्राहिम:—सैकड़ों दरख्वास्तें दीं, उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री अमृतलाल यादव:—जो दरख्वास्तें हमें मिलीं उन पर नियमानुसार कार्यवाही की गई है ।

श्री मोहम्मद इब्राहिम:—मालिकाना हकूक मिले या और हकूक दिये गये ?

श्री अमृतलाल यादव:—यह मामला भारत सरकार के अधिकार की बात है और भारत सरकार से अभी तक इस सम्बन्ध में तय नहीं हुआ है।

श्री मोहम्मद इब्राहिम:—क्या आपके अख्तियारात में यह नहीं आता ?

श्री अमृतलाल यादव:—नहीं ।

श्री अध्यक्ष:—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या २८५

श्री ठाकुर भानुप्रतापसिंह:--Will the Minister for Civil Supplies be pleased to state:—

(1) Whether there is any statutory control order to regulate the Import, Export, Sale, Distribution movement and prices of salt in Rajasthan ?

(2) If the reply is in affirmative, a copy of such statutory control order on salt may be placed on table.

(3) Is it a fact that some sole monopoly has been given by the Rajasthan Government for import and sale of salt in Jodhpur, Bikaner, Kotah and Udaipur Division? Will the Minister for Civil Supplies be pleased to place on the table a copy of such monopoly agreements ?

(4) If the reply to question (1) above is in the negative, will the Minister for Civil Supplies be pleased to state under what law or powers the Rajasthan Government prohibits the free import and competitive sale and distribution of salt in Jodhpur, Bikaner, Udaipur and Kotah Divisions ?

श्री भोगीलाल पंड्या:—(1) There is no statutory control order to regulate the import, export, sale, distribution, movement and price of salt in Rajasthan.

(2) question does not arise.

[redacted]

(3) It is not a fact that sole monopoly has been given by Rajasthan Government for import and sale of salt in Jodhpur, Bikaner, Kotah and Udaipur Divisions. Every body is free to import and distribute salt in these areas if he can procure it. Actually sufficient quantity is imported in these areas by Banjaras alone.

As such monopoly has not been given, the question of agreement does not arise.

(4) There is no restriction on the movement and distribution of salt in Rajasthan at present.

श्री संतोषसिंह:—क्या कोई नमक बना सकता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या:—अपने खाने के लिये खारा वगैरह तो बना लेते हैं, बाकी नहीं बना सकते ।

श्री संतोषसिंह:—क्या बेचने के लिये लेजा सकते हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या:—बनजारे लोग लेजाते हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—अगर मोनोपोली नहीं दी गई है तो सरकार की ओर से किस तरह का ठेका दिया गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या:—आम लोगों को नमक सस्ता मिले इसलिये कुछ एसोसियेशन्स बना दिये गये हैं ।

श्री जसवन्तसिंह:—बीकानेर में क्या हरएक शख्स इच्छानुसार नमक लेजा सकता है या जिस एसोसियेशन को मोनोपोली दी हुई है, वही बेच सकती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या:—बीकानेर में एसोसियेशन द्वारा ही नमक बेचा जाता है परन्तु जितने भी बोनाफाइड डीलर्स हैं उनको एसोसियेशन की ओर से इस विषय में सुविधा मिली हुई है ।

श्री जसवन्तसिंह:—इसी एसोसियेशन को नमक बेचने की सुविधा दी हुई है या दूसरे व्यौपारियों को भी बेचने की सुविधा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या:—एसोसियेशन द्वारा बेचने के लिए छोटे २ व्यौपारियों को नमक मिलता है ।

श्री जसवन्तसिंह:—क्या एसोसियेशन के शेयर्स भी रखे हुए हैं ? अगर हैं तो कितनी कीमत के ? क्या छोटे व्यौपारी इस एसोसियेशन में शामिल नहीं हो सकते ?

श्री भोगीलाल पंड्या:—शेयर्स रखे गये हैं और भिन्न २ जगहों में अलग अलग कीमत के शेयर्स रखे गये हैं । जो व्यौपारी शेयर लेना चाहते हैं उनको शेयर दिये जाते हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में जांच की है कि उस एसोसियेशन के, विधान में, नये मेम्बर बनाने का अधिकार भी दिया गया है कि नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या:—सरकार बिना जांच के कोई काम नहीं करती।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या विधान में ऐसा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या:—सरकार ऐसे विधान को कैसे मान सकती है जिसमें यह बात नहीं हो। सरकार नये मेम्बर्स को बराबर रखवाती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—क्या यह बात सच है कि जोधपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर में नमक वितरण की जो मोनोपोली दी गई उसमें बहुत ऊंचे स्तर से भ्रष्टाचार हुआ था ?

श्री भोगीलाल पंड्या:—नहीं।

श्री कपिलदेव:—क्या यह बात सच है कि मुनाफे की दर सरकार द्वारा ९) रुपया फी गाड़ा रखी गई जब कि ३) रुपया गाड़े पर लोग लेने के लिए तैयार थे ?

श्री भोगीलाल पंड्या:—सरकार ने ९) रुपया प्रति गाड़ा मुनाफा नहीं दिया।

श्री जसवन्तसिंह:—बीकानेर एसोसियेशन में इस समय कितने मेम्बर्स हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या:—बढ़ते रहते हैं। अगर माननीय सदस्य चाहें तो पूरी संख्या बाद में टेबल पर रख सकता हूं।

श्री जसवन्तसिंह:—पहले कितने व्यौपारी थे एसोसियेशन में और अब कितने हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या:—मेरे पास जिनके प्रार्थना-पत्र आये हैं उनको सदस्य बनाया है और भविष्य में भी प्रार्थना-पत्र आने पर बनाये जावेंगे।

श्री अध्यक्ष:—इनके कहने का मतलब यह है कि कितने मेम्बर थे और अब कितने हैं ?

श्री जसवन्तसिंह:—नहीं। मेरा मतलब यह है कि कितने व्यौपारी पहले इसके सदस्य थे और अब और कितने बढ़ाये गये हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या:—यह सब मैं टेबल पर रख सकता हूं।

श्री अध्यक्ष:—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २८६

श्री रघुराजसिंह:—Will the Minister for P. W. D. be pleased to state:—

(a) Is the Government aware of the hardships and difficulties of the cultivators of a number of villages between Relawan and Ramgarh in Kishanganj Tehsil of Kotah District in bringing their produce to Baran Mandi via very round about ways.

(b) If so, will the Government consider solving this difficulty by making a straight road from Ramgarh to Baran via Sevni and Koela.

श्री भोलानाथ:-The Government is fully aware of the difficulties of the people not only in the particular part mentioned in the question but throughout the State and I have myself done extensive tour of nearly whole of the State to find out the exact position and have realised the necessity of roads in the State. It will not be out of place to mention here that in comparison to a figure of about 40 Miles in some of the provinces our Road length per 100 sq. Miles comes to 6·5 Miles only and in order to make up this deficiency the Government is trying its best to secure as much grants as possible from the Government of India to extend its Road length. With regard to the area in question, there already exists a pucca road from Mangrol to Baran. Then Fair Weather Road exists from Ramgarh to Relawan, Relawan to Chinnod and thence to Baran the length of which is about 24 miles. On these roads there are two pucca bridges and in case a direct route as suggested by the Honourable Member is constructed, its length will come to about 18 miles. This will involve the construction of a major bridge and as such the cost will come to about 8 to 10 Lakhs. Even if this is constructed it will pass through a revinous part of low agriculture produce and as such in view of the prevailing financial stringency in comparison to other pressing demands it will perhaps not be justified to take up the work for the present.

श्री रघुराजसिंह:-यदि अभी पक्की सड़क संभव नहीं है तो क्या सरकार कच्ची सड़क बनाने का विचार रखती है?

श्री भोलानाथ:-अवश्य।

श्री रघुराजसिंह:-क्या इस सड़क के निर्माण कार्य को आयन्दा साल लिया जावेगा?

श्री भोल नाथः--अभी कुछ नहीं कहा जा सकता; विचार किया जावेगा ।

श्री हरिदेव जोशीः--"विचार" करने का क्या मतलब है ? इसे कार्यरूप में परिणत किया जावेगा या केवल विचार ही है ?

श्री भोल नाथः--विचार तब ही किया जाता है जब कि उस काम को कार्यरूप में परिणत किया जाता हो ।

प्रश्न संख्या २८७

श्री रघुराजसिंहः--Will the Minister for Revenue be pleased to state:--

(a) How much amount has been given in remission in the last Kharif and Rabi crops in Kotah District ?

(b) Is the Government aware that the reports about damage to crops have been submitted without the crops been inspected on spots and damage entered in records (Khasra-teep) by responsible Revenue Officers like Tehsildars and Naib-Tehsildars and checked by S. D. O. and Collector ?

(c) Why no remissions have been given in the Kishanganj and Shahbad Tehsils even in lands left fallow (बाहन बिलाहकी) due to no fault of the cultivators ?

श्री मोहनलाल सुखाड़ियाः--

(a) Demands were held under suspension. The question of remission is under consideration of the Government.

(b) No.

(c) These tehsils were not affected by scarcity conditions.

श्री रघुराजसिंहः--बाहन बिलाहकी होने पर भी ऐसा क्यों नहीं किया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़ियाः--आम तौर से बहुत सी जमीन पड़ी रहती है मगर जहां पर वर्षा नहीं होती या कोई दूसरी दुष्काल की घटना होती है तो वहां पर यह सवाल पेश होता है। वहां पर २-३ हिस्से में अच्छी वर्षा हुई इसलिये यह सवाल पैदा नहीं होता ।

केप्टिन दलीपसिंहः--क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि किसानों को रेमिशन के लिये कहा गया था, न कि सस्पेन्शन के लिये?

श्री मोहनलाल सुखाड़ियाः--सस्पेन्शन के लिये कहा गया था।

प्रश्न संख्या २८८

श्री रघुराजसिंह:—Will the Minister for Transport be pleased to state:—

(a) Is the Government aware of the difficulty of the motor owners of Kotah Division for want of a separate R. T. O's Office at Kotah ?

(b) If so, is the Government contemplating to appoint a separate R. T. O. very soon for Kotah Division specially in view of the fact that there are more cars, buses and trucks in Kotah Division than in Udaipur Division ?

(c) Is the Government also aware that the present arrangement is most unsatisfactory so much so that tokens in the last quarter were in some cases not received even till the end of the quarter and inspite of the fact that all taxes were paid long in advance ?

श्री भोलानाथ:—(ए) हां।

(बी) गवर्नमेंट ने यह निर्णय किया है कि कोटा में शीघ्र ही एक आर० टी० ओ० का ओफिस कायम किया जावेगा।

(सी) ऐसी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक एसिस्टेन्ट आर० टी० ओ० का ओफिस वहां रखने का निश्चय किया है और इससे वहां ये तकलीफें भी दूर हो जाएंगी।

श्री रघुराजसिंह:—यह प्रवन्ध कब तक हो जाएगा ?

श्री भोलानाथ:—जल्दी से जल्दी।

एक सदस्य:—क्या "जल्दी से जल्दी" का मतलब हम कल से ही ले लें ?

श्री भोलानाथ:—इसके लिये मंजूरी दी जा चुकी है और जल्दी ही यह सारा प्रबन्ध हो जाएगा।

एक सदस्य:—आर० टी० ओ० की क्या क्वालिफिकेशन होती है ?

श्री भोलानाथ:—आर० टी० ओ०, आर० ए० एस० की केटेगरी का अफसर होता है।

एक सदस्य:—क्या वे टेकनिकल लाइन भी जानते हैं ?

श्री भोलानाथ:—एडमिनिस्ट्रेशन ओफिसर सर्वगुणसंपन्न माना जाता है।

प्रश्न संख्या २८६

श्री रघुराजसिंह:—Will the Minister-in-charge Medical and Public Health Department be pleased to state: –

(a) In what years were the donation of rupees seven lacs and fifty thousand received respectively for building Maharao Bhim Singh Hospital and Seth Pana Chand's Maternity Ward at Kotah ?

(b) How much interest has accrued on them uptil now ?

(c) Will the amount of interest also be spent on the construction of the Hospital ?

श्री नाथूराम मिर्धा:—

(a) A donation of Rs. 7 lacs in the form of Government Promissory Notes–3% Conversion Loan (1946) was received in 1949 for the hospital at Kotah.

(b) Rs. 73,500 (less Bank commission etc.) to end of 15th September 1952.

(c) Yes, as the amount of interest goes with the principal amount.

A donation of Rs. 50,000/- in respect of Seth Pana Chand's Maternity ward has also been received. Further details are not readily available and are being collected.

श्री रघुराजसिंह:–क्या ५० हजार रुपयों का इन्वेस्टमेन्ट किया गया और नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया; क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा:–नहीं किया गया।

श्री रघुराजसिंह:–क्यों नहीं किया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा:–यह रुपया सरकार के पास जमा कराया गया था और उसको जमा कराने की शर्त नहीं थी।

श्री रघुराजसिंह:–जब सरकार कोई रकम खर्च नहीं कर सकती थी तो सरकार को यह चाहिये था कि उसको जमा करा कर ब्याज तो कमाती ?

श्री नाथूराम मिर्धाः—यह रुपया मेटर्निटी वार्ड के लिये दिया गया था लेकिन कई सरकमस्टेन्सेज़ की वजह से उसे नहीं बना सके, इसलिये रुपया सरकार के पास पड़ा है।

एक सदस्यः—यह रुपया कितने अर्से से पड़ा हुआ है ?

श्री नाथूराम मिर्धाः—सन् १९४९ से पड़ा हुआ है।

श्री संतोषसिंहः—क्या सरकार ने इसकी जरूरत नहीं समझी ?

श्री नाथूरामः—जरूरत अवश्य समझी थी।

प्रश्न संख्या २१०

श्री रघुराजसिंहः—Will the Minister for Education be pleased to state:—

(a) Is the Government aware that there is immediate necessity of raising the present High School at Baran to the standard of an Intermediate College ?

(b) If so, will the Government take early action in this direction ?

श्री नाथूराम मिर्धाः—बरान हाई स्कूल एक ऐसी हाई स्कूल है जिसको इन्टरमिडियेट कॉलेज में परिवर्तित किया जा सकता है। यह हमारे अगले साल के आर्थिक ढांचे पर निर्भर है।

श्री रघुराजसिंह—क्या कॉलेजेज़ खोलने का काम किसी आधार पर होता है।

श्री नाथूराम मिर्धाः—मैंने समय समय पर कहा था कि जरूरी हलकों में जहां पर ज्यादा डिस्टेन्स पर हाई स्कूलों की फैसिलिटी नहीं है, वहां पर ऐसा किया जाता है और यह भी देखा जाता है कि विद्यार्थियों की संख्या क्या है और आस पास में लोअर इन्स्टीटयूशन जो है उनको अच्छी तरह से देखा जा सकता है।

श्री रघुराजसिंहः—क्या पोपुलेशन का भी ध्यान रखा जाता है ?

श्री नाथूराम मिर्धाः—पोपुलेशन का भी ध्यान रखा जाता है।

श्री रघुराजसिंह—जब सिरोही की आबादी ११ हजार है और बरान की २० हजार की और लड़कों की संख्या भी ज्यादा है तो फिर वहां पर कॉलेज क्यों नहीं खोला जाता ?

श्री नाथूराम:—सिरोही एक ऐसा इलाका है जिसकी आबादी ३ लाख की है और उसमें सिवाय सिरोही के कोई कॉलेज नहीं है। इसके अलावा कोटा में पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है।

श्री रघुराजसिंह:—क्या हम आशा करें कि अगले साल कॉलेज खोल दिया जाएगा?

प्रश्न संख्या २६१

श्री रघुराजसिंह: Will the Minister for P. W. D. be pleased to state:—

(a) In view of the fact that Baran is the second biggest town and the most important Mandi in Kotah District, is the Government thinking of ameliorating the condition of the people by installing *Electricity, Water pipe line* facility in Baran Town ?

(b) If so, how long will it take to provide the above amenities ?

श्री भोलानाथ:—The Municipality at Baran is anxious to have its own electric supply. They are taking a licence for this purpose. An Officer from this Department was deputed to give them necessary technical advice. All possible help will be given for this work. But the actual installation will depend on the Municipality, who are very keen on carrying out the work themselves. The question of water works can be taken as soon as the electric scheme starts functioning.

If the Municipality goes ahead vigorously in the programme, the work can be completed within 12 months. A suggestion to run a line from Kotah to Baran was also made to the Municipality, but as the capital cost of this project will be a little more, it does not seem likely that it will consider this proposition. If the Municipality cannot go ahead with the scheme, the Government will consider the question of their taking up the scheme as soon as finances permit.

श्री रघुराजसिंह:—मैंने ट्रंक टेलीफोन के लिये सवाल रखा था? क्या सरकार उसके बारे में सिफारिस करने की कृपा करेगी ?

श्री भोलानाथ:—हां।

एक सदस्य:—अध्यक्ष महोदय, मैंने ६ दिन पहले कुछ सवाल पेश किये थे (शोर्ट नोटिस) मगर उनका कोई जवाब मुझे नहीं मिला कि आया वे एक्सेप्ट किये गये या नहीं ?

एक सदस्य:-अध्यक्ष महोदय, मैंने १५ सितम्बर को ३६ प्रश्न और प्रस्ताव भेजे थे। वह मेरा प्रस्ताव नहीं आया। पिछले सेशन में भी मेरे प्रश्न और प्रस्ताव ऐसे ही रह गये। क्या वजह है कि ऐसा किया जा रहा है? क्या मैं यह जान सकता हूं कि आयन्दा सेशन में मुझे नये सवाल व प्रस्ताव भेजने पड़ेंगे या इन्ही से काम चल सकेगा?

श्री एच. के. व्यास:-This is exactly the point which I also want to bring to your notice. I gave notice of two Short Notice questions on 16-10-51. May be they might not have been admitted as short notice questions, but then as ordinary starred questions their time-limit was upto the 31st and they have not yet been placed for answers. The Minister concerned has given permission for placing them for answer at a future date because 15 days have passed and I should get their answers as early as possible.

श्री अवनिकुमार:- I would also like to endorse the statement of Mr. Vyas. I had also given notice of two Short Notice questions.

श्री कपिलदेव:-अध्यक्ष महोदय, मैंने १०-१०-५२ को ८ शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन्स दिये थे और उन पर अर्जेन्ट भी लगा दिया था। उनका जवाब तो अवश्य आना चाहिए। उनका जवाब नहीं आया है।

श्री मोहम्मद इब्राहिम:-मैंने ७ अक्टूबर को कुछ सवालात दिये थे उनका जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष:-यह सारी जानकारी आप लोग आफिस से प्राप्त कर लें तो ज्यादा अच्छा हो। जो प्रश्न रूल्स से कम्प्लाई विथ नहीं करते हैं तो रिजेक्ट हो जाते हैं। कुछ शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन्स उत्तर के लिए भेजे जाते हैं और उनके जवाब संबंधित मिनिस्टर को कनसल्ट करके रखे जाते हैं। जो एडमिट कर लिये जाते हैं उनका प्रिसीडेन्स देने का कोई सवाल नहीं है। ऑर्डीनरी कोर्स में जब वे आयेंगे तो सदन में जरूर रखे जायेंगे।

श्री तेजमल बापना:-Is there any time-limit for Short Notice Questions?

श्री अध्यक्ष:-They can come in ordinary routine.

श्री मोतीलाल:-अध्यक्ष महोदय......

श्री अध्यक्ष:-बैलट डाले जाते हैं; जिनका प्रिफरेन्स आता है उनके सवाल पहले लिये जाते हैं।

श्री मोतीलाल:—मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि जो प्रश्न मैंने भेजे थे वे आयन्दा के लिये जायेंगे या नये सिरे से देने पड़ेंगे ?

श्री अध्यक्ष:—आप रूल्स पढ़िये ।

श्री सन्तोषसिंह:—मैंने २ प्रस्ताव दिये थे वे नहीं आये ?

श्री अध्यक्ष:—बेलट डाले जाते हैं; उसमें जिनके नाम आ जाते हैं वे पहले के लिये जाते हैं ।

स्थगन–प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष:—मैं सदन को सूचित करूं कि श्रीमान् मानसिंहजी डि० नं० ६७ ने एक एडजर्नमेन्ट मोशन रखा है कि:—

"The business of the Assembly be adjourned to consiper the public resentment against the decision of shifting the Zoo from Jaipur to Udaipur."

This is not a matter of public importance and hence I rule it out of Order.

श्री कपिलदेव:—अध्यक्ष महोदय, वह अभी शिफ्ट नहीं हुआ है ।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़):—अध्यक्ष महोदय......

श्री अध्यक्ष:—Order! Order! We should proceed.

राजस्थान कृषि आय-कर विधेयक, १९५२.

श्री भोलानाथ:—अध्यक्ष महोदय, मैं आज्ञा चाहता हूं कि राजस्थान एग्रिकल्चर इनकम टैक्स बिल की सिलेक्ट कमेटी की मयाद अगले सेशन के फर्स्ट वीक तक बढ़ा दी जाय ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की यह सम्मति है कि राजस्थान एग्रिकल्चर इनकम टैक्स बिल की सिलेक्ट कमेटी की अवधि अगले अधिवेशन के प्रथम सप्ताह तक के लिए और बढ़ा दी जाय ।

(स्वीकृत)

श्री अध्यक्ष:—आज्ञा प्रदान हुई ।

(राजस्थान नगर समिति (अवधि–विस्तार) विधेयक, १९५२ का उल्लेख करते हुए)

श्री रघुराजसिंह:—On a point of order, Sir. According to rule 122 this Bill should not be taken into consideration today as full three days notice has not been given.

श्री अध्यक्ष:-Wait and watch.

राजस्थान पंचायत विधेयक, १९५२

श्री रामकरण जोशी:-अध्यक्ष महोदय, मैं आज्ञा चाहता हूं कि राजस्थान पंचायत बिल के लिए प्रवर समिति की रिपोर्ट की मयाद अगले सेशन के प्रथम सप्ताह तक के लिए और बढ़ा दी जाय।

श्री अध्यक्ष:-क्या सदन की यह सम्मति है कि राजस्थान पंचायत बिल के लिये प्रवर समिति की रिपोर्ट की मयाद अगले सेशन के प्रथम सप्ताह तक के लिये और बढ़ा दी जाय।

(स्वीकृत)

श्री अध्यक्ष:-आज्ञा प्रदान हुई।

राजस्थान भूमि संक्षेप बन्दोबस्त विधेयक, १९५२

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:-Mr. Speaker, Sir. I beg to move that the time appointed for the presentation of the report of the Select Committee on the Rajasthan Land Summary Settlement Bill, 1952, be extended upto the 1st week of the next session.

श्री अध्यक्ष:-Is the leave of the House granted to this extension?

(स्वीकृत)

The leave is granted.

राजस्थान आवश्यक सेवा (संधारण) विधेयक, १९५२

श्री टीकाराम पालीवाल:—Mr. Speaker, Sir. I beg to move that the time appointed for the presentation of the report of the Select Committee on the Rajasthan Essential Services (Maintenance) Bill, 1952, be extended upto the 1st week of the next session.

श्री अध्यक्ष:—Is the leave of the House granted to this extension ?

(स्वीकृत)

The time is extended.

राजस्थान अभ्यस्त अपराधी विधेयक, १९५२

श्री टीकाराम पालीवाल:-Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the time appointed for the presentation of the report of the Select Committee on the Rajasthan Habitual Offenders Bill, 1952, be extended upto the 1st week of the next session.

श्री अध्यक्ष:-Is the leave of the House granted to this extension ?

(स्वीकृत)

The time is extended.

राजस्थान नगर समिति (अवधि विस्तार) विधेयक, १९५२

श्री रामकरण जोशीः--माननीय अध्यक्ष, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य में नगर समितियों (म्युनिसिपल बोर्ड स) के अवधि-विस्तार की व्यवस्था करने वाले विधेयक को विचारार्थ लिया जावे।

श्री अध्यक्षः—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। प्रस्ताव यह है कि राजस्थान राज्य में नगर समितियों (म्युनिसिपल बोर्ड स) के अवधि विस्तार की व्यवस्था करने वाले विधेयक को विचारार्थ लिया जावे।

श्री रघुराज सिंहः—On a point of order, Sir. Under proviso to rule 122 the Bill cannot be taken into consideration today as clear three days notice has not been given to us.

श्री अध्यक्षः—Yes, Mr. Vyas.

श्री एच. के. व्यासः—I want to say that copies of the Bill have been made available to us only on 2nd and therefore it should not be taken into consideration today.

श्री अवनिकुमारः—Copies of the Bill have been delivered on the 2nd. So the Bill cannot be taken into consideration today.

श्री रामकरण जोशीः--अध्यक्ष महोदय, यह बिल ३१ तारीख को ही सब सदस्यों के पास पहुंच गया था।

श्री एच. के. व्यासः--I have got documentary evidence to prove that I got it on the 2nd, because here is the agenda circulated on the 2nd by the Assembly Secretariat and the supplementary agenda has been circulated to us from the Secretariat on the 1st November, 1952. I presume that it could not have been circulated on the 31st; as a thing which was circulated on the 1st could not have reached to us on the 31st Therefore, the Bill cannot be considered today.

श्री रामकरण जोशीः--अध्यक्ष महोदय, यह लिस्ट, मैं जिसमें इस बिल का जिक्र किया है, तारीख ३१ अक्टूम्बर, १९५२ दी गई है। माननीय साथी उसे देखें।

(विराम)

कागजात जो किल्प लगे हुए एसेम्बली सेक्रेटेरियेट से आये हैं उन्हें मैं माननीय अध्यक्ष को बताने के लिए तैयार हूं।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–I would like to endorse the complaint made by my friend Mr. Harikrishna Vyas. I received a copy of the Bill on the 1st November 1952......

रघुराजसिंह:–And we received it on 2nd at 3 P. M.

श्री रामकरण जोशी:--माननीय अध्यक्ष, मैं समझता हूं कि कानून की बात उठाई गई है और वह ऐसे बिल पर उठाई गई है जिस बिल से कोई खास पॉलिसी की बात राइज होने वाली नहीं है; जिसका ताल्लुक सीधा नगर समितियों को स्थापित रखने के लिये है और उस काम के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस संबन्ध में अपना डिसीजन यही देंगे कि इस पर विचार किया जाय या नहीं।

श्री रघुराजसिंह:–Mr. Speaker, Sir. You see, law is law and it must be followed unless there is very special reason. Every time should not be evaded.

श्री रामकिशोर व्यास:–जो एतराज उठाया गया है वह सही है। रूल १२२ में स्पीकर को अधिकार है। मैं समझता हूं कि हमारे स्पीकर महोदय को इस समय अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिये।

श्री जसवन्तसिंह:–क्या स्पीकर साहब हमारे नहीं हैं?

श्री रामकरण जोशी:– आपके और हमारे दोनों के लिए उपयोगी हैं; इसलिये स्पीकर महोदय अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों की भलाई के लिए।

श्री जयनारायण व्यास:–इस बिल का ताल्लुक नगरसमितियों से है। मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि इसके बिना नगरसमितियों का काम एक तरह से रुक जायगा; व्यवस्था में खराबी पैदा हो जायगी। व्यवस्था के इन्टरेस्ट में विरोधी पक्ष भी इस बात को स्वीकार करेगा। माननीय अध्यक्ष को यह बात मन्जूर करनी चाहिये क्योंकि यह जनता के हित के लिए बहुत जरूरी है।

श्री जसवन्तसिंह:–माननीय मुख्य मंत्री ने जो फरमाया उसके जवाब में मेरा यह कहना है कि सरकार की मंशा में हमें विश्वास होता तो हम जरूर आज्ञा दे देते; लेकिन इसको आ में हमें डर है कि अवधियों के इस तरह बढ़ाने में कई राजनैतिक विचार शामिल हैं। इसलिये हम इस पर विचार करने का विरोध करते हैं।

श्री जयनारायण व्यास:–टर्म के बढ़ाने में कोई राजनैतिक भावना होने वाली नहीं है। हाउस समाप्त हो रहा है। इसके सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं; इसलिये हम इस्तदुवा करते हैं।

श्री अध्यक्षः–(एक सदस्य के खड़ होने पर) Order ! Order !

श्री अध्यक्षः--Well, I will now request the Leader of the House to submit a proposed List of Business at a sufficiently earlier date so that there may not be any ground for complaint for the Hon'ble Members. As regards this particular Bill, Irule that this condition of clear three days be waived.

श्री जसवन्तसिंहः--Is this a sort of warning to the Government that such irregularities shall not occur in future ?

श्री अध्यक्षः--No warning. This is rather a complaint on behalf of Hon'ble Members which the Leader of the House would keep in view. So, now I proceed to put the question. I think the major question of discussing the principle has been solved, together with its original and it is only an extension Bill.

श्री इन्द्रनाथ मोदीः--I do not think there was any original Bill.

श्री अध्यक्षः--There was an Ordinance.

श्री इन्द्रनाथ मोदीः--We had no opportunity of discussing the Ordinance at all.

श्री अध्यक्षः--Then you can discuss it now.

Now I should put the question. We have discussed.

श्री एच. के. व्यासः -I want to say one thing, I won't take much time.

श्री अध्यक्षः--Yes, Then come on. I am glad you are reasonable.

श्री एच. के. व्यासः--I am always reasonable.

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बिल के सिलसिले में सिर्फ दो बातें कहनी हैं। पहली बात यह ह कि माननीय मंत्री महोदय ने जो कारण इस बिल का बताया हैं, जो इसके ओब्जेक्टस एन्ड रीजन्स में दिये गये हैं यदि उन्हीं कारणों के आधार पर हम कायदे कानूनों को पास करवाने लगेंगे तो संबन्धित अधिकारियों द्वारा समय पर इन्तजाम नहीं किया, चुनाव देरी से हुए हैं, मतदाताओं की सूची तैयार न थी इसलिये इनकी अवधि समाप्त हो रही है, इसलिये अवधि बढ़ाई जाय। संबन्धित

अधिकारी इस कानून के बावजूद समय पर काम नहीं कर पाते या सरकार उनसे काम पूरा नहीं करवा सकती तो इस प्रकार से अधिकारियों की लापरवाही या सरकार की गल्ती के कारण सदन से यह मांग की जाय कि इसकी अवधि बढ़ाने के लिए आज्ञा दी जाय, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, आप ही जान सकते हैं। आप ठीक से व्यवस्था न करें, कानून की बन्दिश होने के बावजूद भी व्यवस्था न करें और फिर सदन के सामने यह रखा जाय कि इसकी अवधि में इजाफा कर दिया जाय तो यह कहां तक न्याय संगत है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस चीज को कभी भी मन्जूर नहीं किया जाना चाहिये; यह मेरा पहला ऐतराज है।

दूसरा मेरा ऐतराज यह है कि इस कानून के पीछे जो कार्यवाहियें छिपी हुई है वे सिर्फ प्रोसीजर से ताल्लुक रखने वाली नहीं। इस कानून के पीछे एक गहरी कार्यवाही छिपी हुई है। आज राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा चाहे वह बीकानेर हो, जोधपुर या उदयपुर हो इन बहुत बड़े हिस्सों में सरकारी अधिकारियों द्वारा इन बोर्डों को भंग कर दिया है; चुनाव नहीं हुए। वहां इतनी बदइन्तजामी की हालत है कि जो चुनाव साल भर पहले हुए वहां की जनता को यह विश्वास है कि ये व्यक्ति अब नहीं आ सकेंगे। सरकार को यह भी डर लगने लग गया है कि फिर से यदि चुनाव होंगे तो उनकी पार्टी वाले, उनके समान विचार रखने वाले लोग आयेंगे या न आ सकेंगे; इसलिये जिन लोगों ने आम जनता का विश्वास खो दिया है जबरदस्ती उनको बिठाये रखने के लिए अवधि बढ़ाने की राय दी जा रही है। यह न सिर्फ पुराने बने हुए कानूनों की मंशा के खिलाफ होंगे बल्कि प्रजातंत्र की जो मूल धारणा है उसके खिलाफ भी है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं कि समय बढ़ाने का अधिकार न दिया जाय इसलिये यह बिल पास नहीं किया जाना चाहिये।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—माननीय अध्यक्ष, मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में दो एक बातें इस सदन के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक समझता हूं। जहां तक इस विधेयक के पीछे साधारण सिद्धान्त का प्रश्न है मेरे विचारों में इसके लिये या यों कहिये इसके खिलाफ मुझे कुछ अधिक निवेदन नहीं करना है। अगर किसी भी म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव के सिलसिले में वास्तविक कारण हो, चुनाव की फहरिश्त न बनी हो इस वजह से म्युनिसिपेलिटी की व्यवस्था में कुछ न्यूनता या कमी या और कोई असन्तोषजनक स्थिति पैदा होने वाली हो, तो म्युनिसिपल कमेटी की अवधि बढ़ाना न्याय संगत होगा। परन्तु इस सिद्धान्त को मानते हुए भी मैं आपके द्वारा इस सदन के सामने यह बात पेश करना चाहता हूं कि इस विधेयक के "प्रिएम्बल" (Preamble) को अगर आप मुलाहिजा करें और साथ ही साथ "स्टेटमेन्ट आफ आब्जेक्टस और रीजन्स" जिसमें इसकी आवश्यकता का उल्लेख दर्ज है उसको सामने रखें तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार की नीति इस बात की आवश्यकता के सम्बन्ध में कुछ संदिग्ध सी मालूम देती है; कम से कम इतना अवश्य कहूंगा कि स्पष्ट नहीं है। प्रिएम्बल (Preamble) में यह कहा गया है:—

"Whereas delay is likely to be caused in the final preparation of electoral rolls for the purpose of elections to the various Muncipal Boards in Rajasthan."

मैं हाउस का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इन शब्दों की ओर:–

"Whereas dalay is likely to be caused in the final preparation of electoral rolls for the purpose of elections."

यानी राजस्थान में भिन्न २ म्युनिसिपल बोर्ड्ज हैं, उनके चुनाव के सम्बन्ध में जो मतदाता–सूची बनाना जरूरी है उनकी अन्तिम तैयारी में कुछ देरी की संभावना हो। जब ऑप स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स की ओर ध्यान देंगे तो उसमें आप उल्लेख पायेंगे:–

"Fresh general elections of several Municipal Boards, it has to be confessed, have oecome overdue but could not be conducted as the necessary formalities in respect of the electoral rolls of the municipalities concerned could not be completed."

जो बात यहां पर लिखी गई है, इससे यह प्रतीत होता है कि इलेक्टोरल रोल्स तैयार है, लेकिन उनके सम्बन्ध में कुछ आवश्यक "फोर्मलिटीज" और भी जरूरी है उनका पूरा किया जाना और ऐसा करने में कुछ और अधिक समय की आवश्यकता है। इसके बाद यह फिका भी लिखा हुआ है कि–

"It is likely that some more time may still be taken in finalising those rolls."

तो मेरे विचार में इस हाउस का यह अधिकार है कि वह स्पष्ट तौर पर मालूम करे कि किस स्थिति में आप इन भिन्न भिन्न म्युनिसिपल बोर्ड्ज सम्बन्ध में अपने अधिकारों का प्रयोग किया चाहते हैं ? या तो इलेक्टोरल रोल्स तैयार नहीं है या इलेक्टोरल रोल्स तो तैयार हैं लेकिन उनके सम्बन्ध में कुछ और "फोर्मलिटीज" का पूरा किया जाना आवश्यक है, इसलिए इस कानून के नीचे म्युनिसिपल बोर्ड्ज की अवधि बढ़ाने के अधिकार मांग रहे हैं जहां तक इलेक्टोरल रोल्स का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह समझता हूं कि जब हमारे सारे भारतवर्ष के जनरल इलेक्शन्स के सिलसिले में इलेक्टोरल रोल्स बनाये गये और उनके आधार पर इस महान देश के चुनाव भी हुए और उनको हुए भी काफी समय अब हो चला है, तो फिर यह समझ में नहीं आता है कि इलेक्टोरल रोल्स हमारे पास क्यों कर तैयार नहीं हैं, अपने म्युनिसिपल कस्बों के लिए; क्योंकि पहले छोटे २ हल्के के इलेक्टोरल रोल्स बनते हैं और फिर उन्हीं इलेक्टोरल रोल्स के आधार पर बड़े बड़े क्षेत्रों के इलेक्टोरल रोल्स बनते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इस सम्बन्ध में यह स्थिति विश्वसनीय नहीं मालूम होती कि हमारे म्युनिसिपल कस्बों के इलेक्टोरल रोल्स इस समय भी क्यों नहीं तैयार हैं, और यदि ये बुनियादी रूप में तैयार हैं तो उनकी दुरुस्ती में विशेष समय नहीं लगना चाहिए था; यदि हमारे स्वायत्त शासन विभाग ठीक काम करना है और समय के रहते रहते अपने कर्तव्य को पूरा करना है। यह तो हुई एक बात।

दूसरी बात मुझे आपके सामने यह निवेदन करना है, थोड़े शब्दों में, और जिसे मैं पूरे उत्तरदायित्व के साथ इस सदन के सामने रखना चाहता हूं वह यह है कि जिस प्रकार का स्वायत्त शासन विभाग का काम हो रहा है उसमें जनता का उतना विश्वास नहीं है । मुझे यह बात हाउस के सामने दुःख के साथ रखनी पड़ रही है, लेकिन मैं यह भी समझता हूं कि वास्तविकता से अपने आपको दूर नहीं रखना चाहिए; यद्यपि वह वास्तविकता हमारे लिए अप्रिय भी हो । यह भी सुनने में आता है कि आज एक म्युनिसिपेलिटी के चुनाव के लिए कोई तिथि भी नियत हो गई और फिर बाद में कुछ कारणों से उस तिथि को आगे उठा रख दिया गया और चुनाव पोस्टपोन कर दिये गये । मालूम नहीं ये बातें किस प्रकार हुआ करती हैं, लेकिन होती अवश्य हैं और मैं यह नवेदन कर देना चाहता हूं कि यदि कुछ अवास्तविक कारणों को लेकर हमारे चुनाव आगे खिसका दिये जाते हैं तो इससे जनता पर बहुत बुरा असर पड़ता है । स्वायत्त शासन विभाग का प्रजातन्त्रात्मक देशों में एक बहुत बड़ा स्थान है । ये हमारे प्रजातन्त्र के मार्ग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और अगर सच्चे मायने में हम देखें तो जब तक हम अपनी स्वायत्त संस्थाओं को ठीक प्रकार से चलाने की क्षमता नहीं रखते हैं, दलबन्दी से ऊपर और न्याय के मार्ग का अनुसरण करके, तब तक, मैं समझता हूं कि हमारे द्वारा प्रजातन्त्र के राज्य को इस प्रान्त में चलाने में कामयाबी महत्वपूर्ण का दावा करना एक बहुत ही असंभव सी बात होगी। इसलिए मेरा माननीय मंत्रीजी से और सरकार से यह अनुरोध है और आवश्यकता है इस बात की कि हम अपनी म्युनिसिपेलिटीज के संचालन में ऐसी योग्यता और निष्पक्षता का परिचय दें जिससे भविष्य में जनता में उन संस्थाओं के प्रति विश्वास बना रहे और वह पहले से अधिक रहे । इस हाउस में भी एक दो शिकायतें विरोधी पक्ष के सदस्यों द्वारा हुई हैं कि अमुक अमुक जगहों पर चुनावों की तिथि मुकर्रर हो गई थी और कुछ कारणों से बाद में उस तिथि को आगे रख दिया गया । जब तिथि मुकर्रर हो गई थी तो मैं समझता हूं कि इलेक्टोरल रोल्स जरूर तैयार थे और आज फिर यह कहना कि हमारे प्रान्त में किसी भी क्षेत्र के लिए इलेक्टोरल रोल्स तैयार नहीं हैं या यों कहना कि सीमित समय में इलेक्टोरल रोल्स तैयार नहीं किये जा सकते थे, यह शिकायत सत्य के आधार पर नहीं की जासकती है और न उसे समझा ही जा सकता है । इन थोड़े शब्दों के साथ मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वह इस सम्बन्ध में सतर्क नीति रखे और सावधानी बरते और स्वायत्त शासन संस्थाओं को, जिनका हमारे प्रान्त में प्रजातन्त्रात्मक शासन प्रणाली को आगे चलाने के लिए विशेष स्थान है, उनको पूरा ध्यान में रखते हुए उनको संगठित रूप से जितनी भी उन्नति हो सकती है उसे सामने रखा जाय । मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मैं इस विभाग का स्वयं अनुभव रखता हूं और उसमें मेरी दिलचस्पी भी है । मैंने अपने राजनैतिक जीवन का कुछ हिस्सा भी इसमें गुजारा है और इस काम से मेरा काफी सम्बन्ध रहा है और उस सम्बन्ध और अनुभव के आधार पर मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि हमारा यह विभाग सुदृढ़ हो, प्रगतिशील हो और इसमें जो कुछ कमियां, कमजोरियां आ रही हैं

उन्हें हम सहयोग और सद्भावना के आधार पर दूर करें।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं और उस सम्बन्ध में मेरा एक संशोधन भी हाउस के सामने शीघ्र ही आने वाला है और वह बात यह है कि इस विधेयक के प्रीएम्बल (Preamble) में यह बात स्पष्ट रूप से दर्ज है कि मतदाताओं की सूचियों में देरी होने के कारण सरकार की ओर से इस सदन में अवधि बढ़ाने का प्रश्न उठाया जा रहा है। लेकिन इस विधेयक की धारा २ इतनी विशाल है कि उसके अंतर्गत किसी म्युनिसिपल बोर्ड की अवधि, चाहे कुछ भी कारण क्यों न हो, बढाई जा सकती है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस धारा में भी ऐसे शब्द आ जाने चाहिये कि जिससे किसी भी संबंधित अधिकारी को किसी भी बोर्ड की अवधि अतिरिक्त कारणों से बढाने का मौका न आवे और मैं समझता हूं कि यदि ऐसा किया गया तो इस धारा का दुरुपयोग होने की संभावना बहुत कुछ कम हो सकती है। और अंत में मेरा यही निवेदन है कि जहां तक मेरी राय है मैं इस बिल के प्रिन्सिपल्स से सहमत हूं; लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका उपयोग सच्चे मायने में किया जाय और अतिरिक्त कारणों को लेकर नहीं होना चाहिये। ऐसी मान्यता लेकर इसमें उचित संशोधन किया जाय।

श्री तनसिंह:—अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बिल को पेश करने का संबंध है और इसके पीछे जो बातें बताई जाती हैं वे वास्तव में तथ्य से परिपूर्ण नहीं हैं। यदि सरकार यह चाहती है कि किसी म्युनिसिपल बोर्ड या किसी डिविजन के म्युनिसिपल बोर्ड का समय पर निर्वाचन हो तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि जिससे समय पर निर्वाचन न हो सके। राजस्थान टाउन म्युनिसिपेलिटीज एक्ट, १९५१, के अन्तर्गत ऐसे नियम बनाये गये हैं कि जिससे सम्बन्धित म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष के लिये यह आवश्यक है कि टर्म समाप्त होने के ६ महिने पहिले डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट को सूचना दे कि अमुक बोर्ड की अवधि अमुक दिन समाप्त होती है और डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट के लिये यह लाजमी है कि वह इस धारा के अन्तर्गत रिटर्निंग ओफिसर की नियुक्ति करदे: जो ६ महिनों में निर्वाचन सूचियें तैयार करके चुनाव की आवश्यक कार्यवाही पूरी कर लें। मैं निवेदन करूंगा कि यदि राजस्थान सरकार अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सोती रहेगी तो म्युनिसिपल बोर्डों के अध्यक्ष और राजस्थान सरकार के नीचे काम करने वाले अफसर भी सोते ही रहेंगे और कोई कार्यवाही नहीं हो पायेगी; क्योंकि यह सर्वमान्य है कि जब ऊपर के अधिकारी सोते रहेंगे तो नीचे वाले क्यों जगते रहें? जहां कहीं भी यह नजर आता कि म्युनिसिपल बोर्डों का कार्यकाल लंबा हुआ है वहां पर उसका यही कारण है कि सरकार उस उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक नहीं है। मैं म्युनिसिपल बोर्ड बाड़मेर के विषय में निवेदन करूंगा कि वहां पर अवधि समाप्त होने से ९ माह पहले डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट को सूचना दे दी गई थी; यद्यपि रूल्स के अनुसार ६ माह पहले ही सूचना देना आवश्यक है। वहां के लिये रिटर्निंग ओफिसर नियुक्त कर दिया गया। इलेक्टोरल रोल्स भी तैयार हो गये हैं लेकिन राजस्थान टाउनम्युनिसिपल एक्ट की धारा १० के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र बनानें और स्थान निश्चित करने का अधिकार राजस्थान सरकार को था इसलिये सम्बन्धित चेअरमेन ने राजस्थान सरकार को लिखा कि यदि कॉंस्टिटचुएंसीज बनाने की

आवश्यकता हो तो आप बना दीजिए या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पोवर्स डेलीगेट कर दीजिये । वहां से उत्तर यह आया कि ये सरकार के पांवर्स हैं और पोवर्स डेलिगेट नहीं किये जा सकते; सरकार ही तय करेगी । सरकार इस निश्चय पर नहीं पहुंची कि बाड़मेर में कितनी कॉंस्टिटयुएन्सीज होनी चाहिये और कितने स्थान होने चाहिये । इसी छोटीसी बात के निश्चय के लिये सरकार ६ महिनों से ऊपर ले लेती है तो किस प्रकार इस विधेयक का उपयोग न्यायपूर्ण होगा ? इस विधेयक के स्टेटमेन्ट ओफ ऑब्जेक्ट्स और रीजन्स में लिखा हुआ है कि कब तक विस्तार किया जा सकेगा, इसके बारे में निश्चित किया जा सकेगा । अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान टाउन म्युनिसिपेलिटीज एक्ट की धाराओं के अनुसार कार्यवाही की जाय तो इस विधेयक को पास करने की कोई आवश्यकता नहीं है । मैं निवेदन करूंगा कि जहां सरकार यह चाहती है कि अमुक बोर्ड या विशेष प्रकार के म्युनिसिपल बोर्ड्ज की मयाद बढती रहे और वह काम करता रहे और उसमें कोई रुकावट नहीं डाली जाय तो यह विधेयक उसके लिये मार्ग खोल देता है जिससे सरकार धांधली को प्रोत्साहन दे सकती है । यदि यह कन्फेस किया भी जाता है कि फलां बोर्ड के चुनाव बहुत समय पहले हो जाने चाहिये, लेकिन नहीं हो सके और उसका कारण इलेक्टोरल रोल्स तैयार न होने का दिया जाता है तो यह सच्चाई को छिपाने का प्रयास किया जाता है । सच तो यह है कि यदि सरकार चाहती है कि ६ महिनों में रोल्स बनने का कार्य पूरा न हो तो ऐसी बात नहीं कि वह न हो । सरकार म्युनिसिपल बोर्डज की अवधि बढ़ाती रहती है और कई जगह ऐसा होता है कि जिस बोर्ड में सरकार किसी विशेष दल की मेजोरिटी सहन नहीं कर सकती वहां के बोर्ड को उसका समय समाप्त होने से पहले ही डिज़ोल्व कर देती है और एडहोक कमेटी या एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर देती है । लेकिन जिस किसी बोर्ड में सरकारी पक्ष के लोगों का बाहुल्य होता है उस बोर्ड को जल्दी भंग नहीं किया जाता और मयाद बढ़ती ही रहती है । इतने पर भी यदि हमे विश्वास दिलाया जाता है कि इस विधेयक का दुरुपयोग नहीं किया जायगा तो हम किस प्रकार मानें जब कि मनमानी धांधली बढ़ती ही जा रही है । हमें विश्वास नहीं होता कि सरकार को अधिकार मिलने पर किसी बोर्ड को तीन साल और किसी को दो साल व एक साल के लिये अवधि नहीं बढ़ावेंगे ।

श्री जसवन्तसिंह:—अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र श्री मोदीजी ने जो कुछ कहा है उससे में पूर्णतया सहमत हूं । सिद्धान्त पर हमें कोई ऐतराज नहीं है लेकिन जबतक इसका सेक्शन २ मौजूद है तब तक सरकार उसका दुरुपयोग नहीं करेगी यह नहीं माना जा सकता । मैं ज्यादा न कहकर थोड़ी सी मिसाल देना चाहता हूं । सब से पहले हमें इस बात को जानना जरूरी है कि इलेक्टोरल रोल्स अभी तक क्यों नहीं तैयार हुए ? यदि माननीय मंत्री महोदय इस बात का संतोष दिला देंगे कि इन इन कारणों से इलेक्टोरल रोल्स तैयार नहीं हो सके तो फिर हमें इतना ऐतराज नहीं हो सकता । लेकिन जब कि सारे भारत में आम चुनाव के लिये रोल्स तैयार हो गये फिर हमारे राजस्थान के टाउन्स के रोल्स तैयार नहीं हो सके तो इसका क्या कारण है ? दूसरी बात यह है कि यदि हम इस विधेयक की धारा २ को ज्यों का त्यों रहने दें तो डर

इस बात का है कि उन म्युनिसिपल बोर्ड ज़ का समय बढ़ा दिया जायेगा जिनमें एक ही तरह के लोगों का बहुमत है और स्वायत्त शासन में यह जरूरी है कि प्रान्त के सभी वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व हो। और दूसरी बातें भी सेक्शन दो के नीचे होने की संभावना है। मैं यह नहीं कहता कि होगी ही पर एक दो बातें पिछले समय में हो चुकी हैं। अतः हमें ऐसा होने का अंदेशा है। पिछले साल बीकानेर Municipal Board के चुनाव घोषित किये गये। चुनाव की एक निश्चित तारीख घोषित कर दी गई और उसके एक दिन पहले तक कांग्रेस ने और अन्य सब पार्टियों ने इलेक्शन के लिए बड़ी तैयारी की और Polling Officers भी पहुंच गए; लेकिन जब कि सुबह ६ बजे इलेक्शन्स होने वाले थे तो रात को १२ बजे किन्हीं वजूहात की वजह से जिनका इस सदन में जिक्र करना आवश्यक नहीं समझता तार द्वारा गवर्नमेंट की ओर से हुक्म दिया गया कि बीकानेर म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव फौरन बन्द कर दिये जायं। जब ऐसे Instances हमारे सामने मौजूद हैं कि चन्द घंटों पहले, ६--७ घंटे पहले रात को इस तरह का ओर्डर पहुंच जाता है जिसकी दूसरी पार्टीज को इत्तिला तक नहीं और सुबह दुसरी सब पार्टियां उनके केन्डिडेट्स और वोटर्स सब पोलिंग Stations पर आ जाते पर कॉंग्रेस पार्टी का एक भी Candidate और सदस्य वहां नहीं आता तो हमें किस तरह यकीन हो कि Section २ से हमें किसी और तरह की आशंका नहीं होगी।

श्री गोपीलाल यादव:—माननीय अध्यक्ष ! मैं इस अमेन्डमेन्ट बिल का सिद्धान्त के तौर पर ही विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। शासन का सब से बड़ा सिद्धान्त यह है कि Executive पर कभी भरोसा मत करो, Executive की ईमानदारी पर भरोसा करके कभी मत चलो। इसी लिए Separation of Powers की नीति संसार में मानी गई है। इसी सिद्धान्त के अनुसार आज हमारी जुडिशियरी Executive के अंडर में नहीं रखी जाती। जिसके हाथ में ताकत होती है वह, चाहे बड़े से बड़ा आदमी हो, बिगड़ जाता है और वह जरूर बिगड़ता है। इसी लिए यह सिद्धान्त रखा गया है कि जुडिशियरी को Executive के असर में मत रखो। आज हम रोजाना देखते हैं कि आपके T. A. Bills चाहे Chief Minister के ही क्यों न हों-चार आदमी चैक करेंगे। आप कहेंगे कि विश्वास करो। पर शासन में विश्वास का नाम ही नहीं। आप यही ख्याल कीजिये कि शासन में बुरे आदमी भी आ सकते हैं। इस सिद्धान्त को मानते हुए मैं इसका विरोध करता हूं। मैं यह बता देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय ! कि आज हिन्दुस्तान के विधान में Emergency Section है जिसके अनुसार यदि आज देश मुसीबत में पड़ जाय तो चुनाव स्थगित हो सकते हैं, पार्लियामेन्ट की अवधि बढ़ाई जा सकती है, प्रेसिडेन्ट इस प्रकार की घोषणा कर सकता है। फिर इस प्रकार म्युनिसिपल बोर्ड ज़ के पॉवर लेना गलत बात है; आज कोई ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही है।

आज से पहले आपसे गलती हो गई है, जैसा कि इस बिल के पढ़ने से मालूम पड़ता है, आपने इलेक्टोरल रोल्स तैयार नहीं करवाए, अपने Officers के काम को नहीं देखा, जिसके लिये retrospective भी शायद इसको लगानेको

आवश्यकता पड़ जाय । ऐसी गल्ती को रेक्टिफाइ करना है तो हमेशा Particular instance को लेकर करिये कि फलां म्युनिसिपल बोर्ड की मयाद खत्म हो रही थी और इलेक्टोरल रोल्स तैयार नहीं हुए हैं, अतः हम चार महीने की अवधि बढाना चाहते हैं । पर future के लिए ऐसे पॉवर देना भयंकर भूल होगी; बुरा होगा । मैं अपने मित्रों से जो उधर बैठे हुए हैं निवेदन करना चाहता हूं कि किन्हीं खास म्युनिसिपेलिटियों को, इलेक्टोरल रोल्स आदि तैयार न होने के कारण कानून में लेना चाहते हैं तो इसके लिए कानून पेश कर दीजिये; मैं सहयोग देने को तैयार हूं । परन्तु गवर्नमेन्ट को हमेशा के लिए धांधली-बाजी और गलत बातें करने का Power मत दीजिये ।

मैं कई दफा आपके सामने एक चीज रख चुका हूं; पर उसका जवाब नहीं मिला । आज फिर वही बात रख रहा हूं और समझता हूं कि उसका कोई जवाब नहीं दे सकता । भरतपुर का म्युनिसिपल बोर्ड चार साल से भंग किया हुआ है और वह कांग्रेस के हाथों में है । वहां इलेक्टोरल रोल्स तैयार हैं; चुनाव की तारीख मुकर्रर हो गई पर सेक्रेट्री वहां पहुंचता है, २-४ रोज पहले ही, और चुनाव स्थगित कर दिये जाते हैं । कांग्रेस वहां हार गई थी इस लिए गांव वाले कहते हैं कि जब तक तमाम Votes को खरीद कर कांग्रेस के नहीं बना दिये जावें तब तक वहां चुनाव नहीं होंगे । आप सीधे रास्ते पर चलिए, ऐसी बातें ही पैदा नहीं होंगी । आज म्युनिसिपल बोर्ड को भंग किया है तो दो-तीन महिनों में चुनाव कर दीजिये । अगर कोई Emergency की हालत पैदा हो गई है या अगर आपने कोई गल्ती की है और आप उसको Correct करने के लिए ऐसा करते हैं तो ठीक है । अगर आप अपने अफसरों को या दूसरों को धांधलीबाजी करने का मौका देना चाहते हैं तो सिद्धान्ततः यह गलत चीज होगी और मैं इसका घोर विरोध करूंगा व जितने भी प्रजातन्त्रवादी हैं उनसे अपील करूंगा कि वे इसका घोर विरोध करें ।

श्री रामकरण जोशी:–माननीय अध्यक्ष! जो विधेयक अभी विचाराधीन है इस विधेयक के Statement of objects में इस बात को स्वीकार किया गया है कि कुछ म्युनिसिपेलिटियें ऐसी हैं जिनमें चुनाव वक्त पर नहीं हो सके हैं और वक्त पर नहीं हो सके इसलिए इस मयाद के विधेयक की आवश्यकता पड़ जाती है कि चुनाव के काम तक उसका काम ठप्प नहीं हो जाय इस लिए सदन इस तरह के विधेयक को स्वीकार कर ले । जैसा कि मेरे मित्रों ने कहा, अगर गल्ती की भावना से गल्ती की गई है तो कोई भी इसे अच्छा नहीं कह सकता, वह गल्ती ही है । गल्ती अगर रूटीन में हो गई है तो उसको सुधारने का मौका नहीं देना कोई भी इसे स्वीकार नहीं करेगा । सिद्धान्ततः किसी बात का विरोध करना तो ठीक है लेकिन इस सिद्धान्त को मान लेना कि अमुक काम सरकार करे या अमुक व्यक्ति करे तो वाजिब नहीं है । एग्जिक्यूटिव पर भरोसा मत करो, यदि कोई बात इस सिद्धान्त से कही जाती है तो इसके बराबर कोई दयनीय स्थिति नहीं होगी । हमें एग्जिक्यूटिव पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा; लेकिन विश्वास करने के साथ साथ हमें उनके पांवों को सावधानी से जरूर वाच करना पड़ेगा । इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सिद्धान्त के अनुसार कोई

एग्जिक्यूटिव का विश्वास नहीं करें तो कोई भी सरकार, कोई भी शासन, कोई भी कमेटी, कोई भी काम इस दुनिया में नहीं चल सकेगा । तो ऐसी सूरत में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह बिल विश्वास या अविश्वास का बिल नहीं है ।

अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने एनरोलमेंट के बारे में जो बातें सुझाई और जिक्र किया, उसके संबन्ध में मैं यह कहूंगा कि उनका कहना एक हद तक सही है कि जब हाल ही में भारतवर्ष में आम चुनाव हुए और सारे देशों की सूची तैयार हुई थी तो ऐसी सूरत में कोई कल्पना कैसे करे कि यहां के सदस्यों की सूची तैयार नहीं । लेकिन मैं यह निवेदन करूं कि बहुत से लोगों के नाम मत-दाताओं की सूची में लिखने से रह गये । मैं यह कहूंगा कि १२ प्रतिशत लोग पढ़े लिखे नहीं है और उनके नाम सूची में नहीं आये हैं । इस चुनाव के बाद पता लगा और इस चुनाव के बाद इस देश में जागृति आई है और ऐसी हालत में उन लोगों के नाम जो गलती से रह गये, अब नहीं रहने चाहिये और ऐसा मौका फिर नहीं दिया जाना चाहिये । जब इसका कार्य-क्रम आता है तो लोगों को नोटिस दिये जाते हैं । आज आप सभी इस बात को मानते हैं और मानेंगे कि इन आम चुनावों के बाद लोगों में जागृति बहुत ज्यादा हो गई । कुछ ऐसी जगहें हैं जहां जागृति ज्यादा हो गई है या ऐसी जगह है जहां जागृति का अजीर्ण हो गया है वहां पर लोग यह कहते हैं कि अमुक नाम नहीं आये हैं या अमुक नाम गलत आये हैं । उनको सुधारने में यदि समय कुछ ज्यादा लग जाता है तो मैं समझता हूं कि कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये; क्योंकि मामूली रुटीन काम में भी देर लग ही जाती है और अगर मामूली कामों में देर होती चली जावे और सूची आदि ठीक समय पर तैयार नहीं हो तो ऐसी हालत में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वे संस्थाएं समाप्त हो जायंगी और उनका सारा इन्तजाम, जिसका ताल्लुक जनता के विकास से है, ठप्प पड़ जावेगा और मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी पक्ष का क्यों नहीं हो इस हद तक ओपोजिशन की भावना में यह स्वीकार नहीं करेगा कि इस प्रकार का कोई विधेयक नहीं आना चाहिये । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधेयक केवल गल्तियों को जारी रखने और रक्षा के लिये नहीं लाया गया है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल उन गल्तियों को सुधारने के लिये लाया गया है और इसी भावना से इसे आपको स्वीकार करना चाहिये। और यह आप और हम सभी चाहते हैं कि सच्चे पंचायत राज्य का विकास हो । श्री मोदीजी ने जो अपनी भावना व्यक्त की है मैं उनकी भावना की कदर करता हूं और मैं मानता हूं कि जल्दी से जल्दी सच्चा पंचायत राज्य का विकास हो । श्री मोदीजी को इसमें दिलचस्पी है और मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वे अपने अनुभव पर इस प्रकार के सुझाव देते रहेंगे, जिससे हम अपनी प्रगति को आगे बढ़ाते रहेंगे ।

राजस्थान का इतिहास प्राचीन काल में, मध्यकाल में, जितना गौरवशाली रहा है उतना आज नहीं है । आज राजस्थान हिन्दुस्तान में पिछड़ा हुआ देश है और स्वायत्त शासन की संस्थाओं में अवश्य पिछड़ा हुआ रहा है । यह इसलिये

रहा हूं कि पिछले जितने भी शासक थे उन्होंने स्वायत्त शासन को जन्म नहीं दिया और न वे चाहते थे कि स्वायत्त शासन संस्थाएं कायम हों । उनके यहां तरह तरह की परम्पराएं थीं और हम एक नये रूप से स्वायत्त शासन को बना रहे हैं । बच्चे को खड़ा होने देना चाहिये और उसमें यदि एक दूसरे की आलोचना और अविश्वास हम करेंगे तो मैं समझता हूं कि वह बच्चा पनप नहीं सकेगा । मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो बातें मुझे बताई हैं, इस सिलसिले में मुझे जानने का मौका मिला; जिनको मैं पहले से ही जानता था । यदि कोई भी व्यक्ति या एग्जिक्यूटिव साइड का अफसर गलती करता है तो उसका एक्सप्लेनेशन लिया जाना चाहिये और यदि उसका जवाब वाजिब होता है तो उसको देखते हैं और गैर वाजिब हो तो उसको सजा देते हैं और सजा दी जानी चाहिये । लेकिन यह मान कर कि एग्जिक्यूटिव का विश्वास नहीं करना चाहिये; इस प्रकार की तलवार उनके सर पर नहीं होनी चाहिये कि जिससे उनकी बेगुनाह हत्या हो जाती है । हमें नई सभाओं के नये काम को जमाना है । हमारे यहां १५०-१६० के करीब म्युनिसिपल कमेटियें हैं जिनमें दो-चार ऐसी हैं जिनकी मयाद समाप्त होने वाली हैं । उनके लिये भी हमें कुछ सोचना होगा; क्योंकि जो सूचियें बनी थीं वे स्वयं पूर्ण नहीं थी । हमारे यहां महिलाओं के नाम दर्ज नहीं हैं और हम यह चाहते हैं कि सब लोगों को मत देने का अवसर मिले और कोई यह न कहे कि हमारा नाम मत-दाताओं की सूची में नहीं आया । इसलिये हमें उनको समय देना पड़ेगा कि वे अपना नाम लिखा सकें । आज-कल आप और हमारे दौरे होने के नाते ज्यादा जागृति हो गई है और मैं समझता हूं कि जनता की जरूरी भावना को हमें प्रोत्साहन देना चाहिये । श्री मोदीजी की भावनाओं की मैं कदर करता हूं । इसके साथ साथ मैं यह भी कहूंगा कि आज-कल प्रजातन्त्र के जमाने में कोई भी व्यक्ति ऐसा न बचना चाहिये जो यह कह सके कि उसको वोट देने के अधिकार से वंचित रखा गया है ।

मैं इस भावना के साथ आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आप आपस में एक दूसरे पर विश्वास रखें और यह बिल जो जनहित के काम करने वाली संस्थाओं से ताल्लुक रखने वाला है अवश्य स्वीकार करें ।

(श्री उपाध्यक्ष पदासीन)

यह बात सही है कि नियम ऐसे हरगिज नहीं बनने चाहिए जिनसे लोगों को बुराइयें करने का मौका मिले और बुराइयों से बचने का अवसर मिले लेकिन नियम ऐसे जरूर बनने चाहिए जिनसे बुराइयां दूर करने का अवसर मिले । इसी भावना से मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस विधेयक को स्वीकार करेंगे और स्वायत्त शासन के विकास में सरकार की मदद करेंगें ।

जिस दूसरी धारा का जिक्र इसमें किया गया है, मैं समझता हूं कि प्रिएम्बल और स्टेटमेंट के आजाने के बाद उसके तरीके में इतनी शंका का कोई प्रश्न नहीं उठता है । मैं समझता हूं कि कई मेरे साथियों ने यह कहा कि यह विधेयक कुछ दिन तक लागू कर देना चाहिए, लेकिन आगे के लिए इसमें कोई गुन्जाइस

नहीं रहनी चाहिए । मैं समझता हूं कि आगे भी ऐसे अवसर आ सकते हैं कि कितने ही उचित कारणों से, कितने ही वाजिब कारणों से, किसी जगह चुनाव नहीं हो सके तो उस जगह कहीं काम नहीं पडा रह जाय : तो मैं समझता हूं कि ऐसा नियम अवश्य बनाना चाहिए । नियम तो होते ही हैं; तलवार, बन्दूक, पिस्तौल सब कुछ होते हैं । उनके उपयोग और भावना पर मुनस्सर है । बन्दूक और पिस्तौल मारने के काम में भी आ सकते हैं और रक्षा करने के काम में भी आ सकते हैं । मैं निवेदन करूंगा कि रक्षा करने और सुधार तथा बुराइयों को दूर करने की दृष्टि से ही यह बिल हाउस के समक्ष रखा गया है । राजनैतिक दलबन्दी, पार्टीबाजी के लिए यह विधेयक नहीं आया है । इस विधेयक का असर सभी लोगों पर पड़ेगा, इस प्रान्त के सभी हिस्सों पर जाकर पडेगा और सभी जगह पड सकता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप इस विधेयक को जैसा का तैसा स्वीकार कर लें। इस जैसा निर्दोष विधेयक शायद कोई अभी तक इस हाउस में नहीं आया होगा, जिससे इस तरह आप बहस में पड़े । मैं उम्मीद करता हूं कि इसको पारित कर दिया जायगा । मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस विधेयक को स्वीकार कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष:—प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य में नगर समितियों (म्युनिसिपल बोर्ड्ज) के अवधि-विस्तार की व्यवस्था करने वाले विधेयक को विचारार्थ लिया जावे ।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ स्वीकार किया जाता है ।

अब प्रस्ताव यह है कि क्लॉज २, जो कि इस प्रकार है:—

"2. Extension of terms of Municipal Boards.--Notwithstanding anything contained in section 15 of the Rajasthan Town Municipalities Act, 1951, or in any law repealed by section 2 of the said Act, and notwithstanding the expiry of the term of any Municipal Board to which this Act applies, the State Government may, by notification in the Rajasthan Gazette, from time to time, extend the term of any such Board, so as to take effect retrospectively or prospectively, for such period or upto such date as may be specified in the notification."

लिया जाता है । इस क्लॉज पर कई संशोधन उपस्थित हुए हैं । सर्वप्रथम श्री भैरूंसिंह अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे ।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ):—माननीय अध्यक्ष, जिस समय यह बिल मेरे सामने आया और मैंने इसको देखा तो उस वक्त मेरे पास एक कांग्रेसी सदस्य भी बैठे थे । उन्होंने और मैंने इस बिल को अच्छी तरह से देखा और यह विचार किया कि इस बिल के द्वारा........

श्री एच. के. व्यासः–ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर।

एमेन्डमेन्ट मूव तो हुआ ही नहीं और स्पीच शरू हो गई। यह जनरल डिस्कशन हो रहा है या एमेन्डमेन्ट पर बोला जा रहा है।

श्री उपाध्यक्षः--The member will move his amendment.

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़):–सेक्शन २ में मेरे एमेन्डमेन्ट यह हैः–

(१) "इस खण्ड की पंक्ति ७ मे शब्द 'गजट' के पश्चात् जो शब्द 'टाइम टू टाइम' हैं वे डिलीट कर दिये जायं"।

(२) "इसी खण्ड की पंक्ति ९ में शब्द 'और अपट सच डेट' डिलीट कर दिये जायं"

(३) "इसी खण्ड की पंक्ति १० में शब्द 'नोटिफिकेशन' के पश्चात् शब्द 'नोट एक्सीडिंग थ्री मन्थस' जोड़ दिये जायं"

अध्यक्ष महोदय, इन amendments के समर्थन में मैं अपने विचार प्रस्तुत करते हुवे निवेदन करूंगा कि जैसा कि मैंने अभी कुछ समय पूर्व यह कहा था कि जिस समय यह बिल मेरे पास आया उस वक्त एक कॉंग्रेसी सदस्य भी मेरे पास बैठे हुए थे। हम दोनों ने इस बिल पर विचार–विमर्श किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि इस बिल से सरकार को अनिश्चित काल के लिए म्युनिसिपेलिटीज़ के इलेक्शन्स में extension करने का अधिकार दिया है। उस अधिकार को किसी निश्चित अवधि के लिए निर्धारित किया जाय और यह विचार भी किया गया कि इस में कोई संशोधन पेश करके इस अवधि को निश्चित किया जाय। लेकिन जिस वक्त मैं ये संशोधन draft करने लगा तो उन्हीं माननीय सदस्य ने यह कहा कि यह एमेन्डमेन्ट एक विरोधी सदस्य की ओर से जायगा, अतः इस पर कोई विचार नहीं हो सकता है, और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ज एक्ट Amendment Bill 1952 के एमेन्डमेन्ट गिर गये उसी तरह यह म्युनिसिपल बोर्ड के एक्ट के सेक्शन २ के लिए जो एमेन्डमेन्ट प्रस्तुत किया गया है वह भी गिर जायगा। तो मैंने उन माननीय सदस्य से यह प्रश्न किया कि माननीय मंत्रीजी, जिनके द्वारा यह बिल प्रस्तुत किया गया है, वे किस तरह के हैं। उसी समय उन्हीं माननीय सदस्य ने मुझ से यह कहा कि वह एक श्यूड पोलीटिशियन हैं, लेकिन इस वक्त वे misguided हैं। उनका मकसद यह था कि यदि वे आज अपनी पार्टी की सुरक्षा में नही लगे और समाज की सेवा में लगे तो....

श्री उपाध्यक्षः--आप संशोधन पर बोलें। कोई प्राइवेट...

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़):–मैं संशोधन पर ही आ रहा हूं। वे प्राइवेट मम्बर नहीं हैं। उन्होंने बिल मूव किया है।

तो, अध्यक्ष महोदय, उन्होंने मुझसे कहा कि यदि यह माननीय मंत्रीजी समाज-सेवा की भावना से ऐसे बिल आदि के चक्कर में पड़ें तो वह माननीय मंत्रीजी बहुत ज्यादा समाज की सेवा कर सकते हैं । लेकिन इस वक्त उनमें समाज-सेवा की भावना कम और अपनी पार्टी की सेवा की भावना ज्यादा है। इसी भावना को हृदय में रखते हुए उन्होंने ऐसा Bill move किया है ।

आज जब सभा की कार्यवाई प्रारम्भ हुई तो विरोधी दल के नेता ने माननीय मुख्य मंत्रीजी को उनके नये appointment पर हार्दिक बधाई देते हुए एक दूसरे की ओर से सहयोग की भावना को जागृत कर काम करने का भी सदन को आश्वासन दिया तो उस वक्त मेरे मस्तिष्क में यह बात आई कि उस विचार का शायद असर माननीय मंत्रीजी के ऊपर भी हुआ होगा, और वह अपने दिमाग से भी उस भावना को निकाल देंगे जिस भावना से यह बिल लाया गया है । लेकिन मुझे अफसोस हुआ जब कि discussions में उन्होंने यह कहा कि यह बिल महत्वपूर्ण नहीं है । मैं समझ नहीं सका कि यह बिल महत्वपूर्ण क्यों नहीं है ? उन्होंने अभी सदन को यह आश्वासन दिया कि इस बिल के द्वारा कोई ऐसी कार्यवाई नहीं होगी जो पार्टी-बाजी के दलदल में फंसी हुई हो। और जो कुछ भी कारंवाई होगी वह पार्टी के दलदलबाजी से उपर होगी मैं यह नहीं समझ सका कि वे इस बिल को कोई महत्व नहीं देते हैं; तो फिर उनके मस्तिष्क में यह पार्टी बाजी की बात कैसे आई कि इस बिल के द्वारा पार्टियों को भी अच्छा समर्थन मिल सकता है ।

अब मैं इन amendmonts के सम्बन्ध में सदन के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करता हुआ यह अर्ज करूंगा कि यदि सरकार एक्सटेन्शन करने का अधिकार चाहती है तो निश्चित अवधि के लिए ऐसा अधिकार प्राप्त करे । मैं समझता हूं कि आज तक म्युनिसिपलिटीज के सम्बन्ध में सरकार की जो नीति रही है उससे भी ज्यादा घृणित नीति अब इस जनता के समक्ष, इस हाउस में प्रस्तुत बिल द्वारा काम में लाई जाने वाली है। अध्यक्ष महोदय, यदि मैं नवलगढ़, डीडवाना और नावा Municipalities के सम्बन्ध में विचार रखूं तो माननीय सदस्यों को यह मानना पड़ेगा कि किस तरह से म्युनिसिपेलिटियों के इलेक्शन में, उनके हर कार्य में सरकार द्वारा अपनी संस्था को पोषण देने में व दूसरी संस्थाओं को जिनके द्वारा समाज की वास्तविक सेवा हो सकती है कुचलने में, किस तरह सरकारी अधिकारों का दुरुपयोग किया जाता है ।

नावा की म्युनिसिपलिटी के संबन्ध में मैं अर्ज करूंगा कि नावा में इस वक्त कई दिनों से इलेक्शन नहीं हुआ है । जिस वक्त जनता को इस बात के लिए असन्तोष हुआ उस वक्त यह शिकायत राज्याधिकारियों के पास की गई । शिकायतों का नतीजा यह हुआ कि उस वक्त एड हॉक कमेटी बना दी गई और एडहॉक कमेटी में जो सदस्य रखे गये हैं सब के सब उन्हीं की Congress पार्टी के लिये गये ।

नावा एक ऐसी जगह है जिस जगह पर कांग्रेस अपना समर्थन खो चुकी है। इसका पूरा नतीजा उस वक्त मालूम होगा जब कि चुनाव किये जायेंगे ।

नवलगढ़ और डीडवाना में यहां तक हुआ कि इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी द्वारा कई अवैधानिक कार्यवाहियें की गई उनके खिलाफ सरकारी अधिकारियों के पास व हाई कोर्ट में मुकद्दमें चलाये गये किन्तु उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और नतीजा यह हुआ कि वहां पर भी एडहॉक कमेटी बनाई गई। जब एडहॉक कमेटी ने कार्य प्रारम्भ किया तो वहां के बिरोधी दल ने एक दर्ख्वास्त की कि यह जो कमेटी बनाई गई है उसमें एक ही दल के लोगों को रखा गया है; दुबारा उसी पार्टी को रखा गया जिस पार्टी के लिए दुनियां में यह बात फैली हुई थी कि इसने अवैधानिक कार्यवाहियां की हैं। अवैधानिक तरीकों से इस पार्टी के लोगों ने चुनाव जीते हैं । इसलिये ad hoc कमेटियां भंग की जाकर दुबारा चुनाव कराया जाय, परन्तु कोई सुनवाई नहीं। मेरे पास वहां की जनता की ओर से जो शिकायत आई है उस शिकायत को यदि सदन चाहे तो पढ़कर सुना सकता हूं ताकि सदन को पता लग जायगा कि किस तरह की अवैधानिक कार्यवाहियां इस पार्टी के लोगों ने चुनाव जीतने के लिए कीं।

श्री रामकरण जोशीः--यह बात आप कितने दिन पहले की फरमा रहे हैं।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़):--यह बात गत साल की है जो मैं अर्ज कर रहा हूं।

नवलगढ़ में इस वक्त एक एडहॉक कमेटी काम कर रही है। उस कमेटी में सात आदमी हैं और वे सातों ही कांग्रेस के आदमी हैं। इससे अन्दाज यह लगता है कि नवलगढ़ में सिवाय कांग्रेस पार्टी के दूसरी पार्टी है ही नहीं। यदि ऐसा नहीं है तो इस एडहॉक कमेटी में कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टियों का भी प्रतिनिधित्व होता। अतः मुझे कहना पड़ेगा कि महज अपनी पार्टी को प्रोत्साहन देने की नीयत से अवधि बढ़ाने के अधिकार की मांग की जा रही हैं।

पंचायतें और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्ज ऐसी संस्थायें हैं जिनसे समाज की वास्तविक सेवा होती है; समाज का एक एक बच्चा इनके द्वारा सेवा प्राप्त करने का अधिकारी है। लेकिन राजस्थान में ऐसी चीज नहीं है। जो संस्थायें ऐसा कार्य कर रही हैं वे पार्टी के दल दल से कभी ऊंची नहीं उठी हैं। उनसे हम क्या आशा करें कि वे समाज की भलाई के लिए इस अवधि बढ़ाने के अधिकार प्राप्त करने की मांग कर रहे हैं? आज यह जो बिल सदन के समक्ष लाया गया है उसका केवल मतलब यह है कि आगामी ४ साल के बाद जो चुनाव होने वाले हैं.......

श्री रामकरण जोशीः--बिल के बारे में नहीं, अमेन्डमेंट के बारे में कहिये।

श्री भैरूंसिंहः--यह बिल से संबन्धित है। यह जो संशोधन रखा गया है वह बिल से संबन्धित है: इसलिये संशोधन के साथ साथ बिल पर भी कुछ कहा जा सकता है। मैं यह कह रहा था कि बिल जो प्रस्तुत किया गया है उसकी मन्शा आगामी चुनाव जीतने से ज्यादा संबन्ध रखती है।

रोजमर्रा की जरूरतों के लिए म्युनिसिपल बोर्ड, पंचायत बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का होना आवश्यक है। सरकार जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व करती है वह यह समझती है कि अगर म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आदि में उनका बहुमत नहीं रहेगा तो साधारण जनता चुनाव में हमारा साथ नहीं देगी। आने वाले चुनावों में वे ही व्यक्ति सफल हो सकेंगे जो वास्तव में जनता की सेवा करना चाहते हैं; जो इस बात का दावा कर सकेंगे कि हम समाज की सेवा करने के लिए आगे आये हैं। यह मामूली चीज नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सरकार किसी खास पार्टी को प्रोत्साहन देने के लिए इस प्रकार का बिल हाउस के समक्ष रखती तो हमें समर्थन करने में इतना विचार नहीं करना पड़ता, हम समर्थन करते; लेकिन यह किसी पार्टी के समर्थन के लिए न रखकर समाज सेवा करने की भावना से रखा जा रहा है जिसकी आड़ में अपनी पार्टी को लाभ पहुंचाने की नीति है। इसलिये हमें कभी भी इसका समर्थन नहीं करना चाहिये। माननीय मंत्रीजी ने जो बिल पेश किया है उस पर वे गंभीरता से विचार करेंगे तो उनको मालूम होगा कि यह जो बिल वे पेश कर रहे हैं उसमें समाज की सेवा करने की भावना बिल्कुल न होकर अपनी पार्टी की सेवा की भावना अधिक है। इसलिये इन्ही कारणों से तीन माह की अवधि के लिये चुनाव स्थगित कर सकने का अधिकार सरकार को दिया जाना चाहिये और इसीलिये यह संशोधन सदन में प्रस्तुत किया गया है। आशा है कि माननीय सदस्य इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करके इस संशोधन का समर्थन करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष:—प्रश्न यह है कि ये तीनों संशोधन जो श्री भैरूंसिंहजी ने रखे हैं उनको स्वीकार किया जाय या नहीं, इस पर राय ली जायगी।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:-On a point of order, Sir, will it not be proper to have all the amendments moved before putting the question to the House? I think the usual procedure is that all the amendments are moved and then they are put to Vote.

श्री उपाध्यक्ष:--श्री इन्द्रनाथ मोदी अपना संशोधन पेश करें।

श्री रामकरण जोशी:—मेरे पास भी संशोधन की कॉपी पहुंचाने की व्यवस्था की जावे।

श्री इन्द्रनाथ मोदी—यह लीजिये।

श्री रामकरण जोशी:—(पढ़कर) मैं इस संशोधन को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:-माननीय अध्यक्ष, मुझे संशोधन पेश करने की आज्ञा मिली है अगर यह समझ लिया जाय कि संशोधन प्रस्तुत कर दिया गया है और वह माननीय मंत्री द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया है तो मैं मंत्री महोदय के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे अमेन्डमेन्ट को स्वीकार

कर लिया है। अब मुझे सदन का समय लेने की आवश्यकता नहीं। फिर भी में एक बात आपकी जानकारी के लिये कहना चाहता हूं । अब में अपना संशोधन अध्यक्ष महोदय आपकी आज्ञा के अनुसार पढ़कर सुनाता हूं:-

My amendment is this that after the word "extend" in line 7 of section 2, the following words may be added "for the purposes of this Act." The section would then be like this:—

"Notwithstanding anything contained in section 15 of the Rajasthan Town Municipalities Act, 1951 or in any law repealed by section 2 of the said Act, and notwithstanding the expiry of the term of any Municipal Board to which this Act applies, the state Government may, by notification in the Rajasthan Gazette, from time to time, extend for the purposes of this Act the term of any such Board, so as to take effect retrospectively or prospectively, for such period or upto such date as may be specified in the notification."

मेरे इस संशोधन के पेश करने का केवल एक ही प्रयोजन था। वह प्रयोजन यह था कि यद्यपि प्रिएम्बल और स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्टस एन्ड रीजन्स में यह बात साफ तौर से बतला दी गई है कि अमुक प्रयोजन को लेकर के म्युनिसिपल बोर्ड की अवधि बढ़ायी जा रही है लेकिन जो विधेयक पेश किया जा रहा है उसमें यह बात साफ तौर से दर्ज नहीं है इसलिये इस बात से दो खराबियें पैदा हो सकती हैं: एक तो यह कि मौजूदा धारा २ से यह स्पष्ट मतलब निकलता है कि और कारणों को लेकर के भी म्युनिसिपल कमेटियों की अवधियां बढ़ाई जा सकती हैं । अगर ऐसा न भी होने की संभावना को मान लिया जावे, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने हमें आश्वासन दे दिया है तो भी हो सकता है कि उनके उत्ताराधिकारियों को यह मर्यादा मान्य न हो तो और कारणों से भी म्युनिसिपल बोर्ड की अवधि बढ़ाई जा सकती है। दूसरी खराबी यह होती है कि अदालतों में मुकद्मेबाजी बढ़ सकती है, यदि यह संशोधन न किया जाय।

इस सम्बन्ध में एक ओर छोटी सी बात जो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि किसी भी बिल के प्रिएम्बल और स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स, जहां तक मुझे कानून की जानकारी है, उसके अंग नहीं समझे जा सकते। अतः मैं यह कहना मुनासिब समझता हूं कि इसमें यह अमेन्डमेंट होना आवश्यक है। मैं माननीय मंत्रीजी का आभार मानता हूं कि उन्होंने स्वयं इस संशोधन को स्वीकार किया है और उन्होंने एक बात मेरे व्यक्तित्व को लेकर अपने भाषण में जो कही थी उससे मैं उनका आभार मानता हूं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्वायत्त शासन संस्थाओं के विकास में हम सहयोग की नीति से उत्तम काम कर सकते हैं । जो कुछ भी प्रान्त की सेवा इस सम्बन्ध में मुझ से हो सकती है या वे लेना चाहें, मैं करने के लिए तैयार हूं ।

श्री उपाध्यक्ष:-श्री तनसिंह:-

श्री तनसिंह:--मैं बिल की धारा २ में यह संशोधन रखना चाहता हूं:-

"The following words shall be inserted after clause 2: -

'provided that the above extension shall not exceed a period of six months'."

इस विषय में, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि अभी मैंने पहले बताया कि टाउन म्युनिसिपेलिटीज को अध्यक्ष द्वारा जब समाप्त किया जाता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उससे छः महीने पहले ही सूचित कर दिया जाता है। जब म्युनिसिपेलिटी का समय खत्म किया जाता है या खत्म होने वाला होता है तो छः महीने के पहले सूचित कर देना चाहिए कि अमुक बोर्ड खत्म होने वाला है और रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त कर दिया जाय। ऐसी अवस्था में छः महीने की अवधि रिटर्निंग अफसर के पास पर्याप्त रहती है। इस अवधि में इलेक्टोरल रोल्स बनाए जा सकते हैं और जो आवश्यक कार्यवाही चुनावों के लिए हो सकती है की जा सकती है। छः महीने की अवधि रीजनेबल है और इतनी अवधि देने के बाद भी आवश्यकता पड़ जाय तो अनिश्चित समय के लिए अवधि देना रिजनेबल मालूम नहीं पड़ता। अतः सरकार के लिए इलेक्टोरल रोल्स तैयार न होने की दशा में छः महीने की अवधि और बढ़ाई जाय तो कुल मिलाकर एक साल होजाता है। मेरा निवेदन यह है कि यदि एक साल में भी इलेक्टोरल रोल्स नहीं तैयार हो सकते हैं तो विश्वास नहीं किया जा सकता है कि अमुक म्युनिसिपेलिटी के इलेक्टोरल रोल्स कभी बन सकते हैं। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करूंगा; ज्यादा नहीं कहना चाहता। यदि छः महीने का यह बार रख दिया जाय, अमुक समय तक की अवधि निश्चित कर दी जाय तो इस बिल के एक्ट बनने के बाद में उसके दुरुपयोग के लिए एक रुकावट पैदा हो जायगी। मैं इतना ही कहूंगा।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:--Mr. Speaker, Sir, may I know the exact wordings of the amendment proposed?

श्री तनसिंह:--After clause 2, the following words shall be inserted:—

"Provided that the above extension shall not exceed a period of six months."

श्री हरिकृष्ण व्यास:--माननीय अध्यक्ष, मैंने जो अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत किया है, उसी आशय का अमेन्डमेन्ट अभी मेरे से पहले प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य ने किया है। सिर्फ एक शब्द का ही फर्क है। आपकी इजाजत हो तो मैं उस अमेन्डमेन्ट को अमेन्ड करके रख दूं और आवश्यक समझें तो मैं मेरे ओरिजिनल अमेन्डमेन्ट को ही रख दूं। मेरे अमेन्डमेन्ट की मंशा यही है कि कुल मिला कर अवधि छः महीने से अधिक की न हो।

"Provided that the above extension shall not exceed six months in the aggregate."

मैंने यह अमेन्डमेन्ट इसीलिए रखा है कि गवर्नमेन्ट बार बार समय एक्स्टेन्ड न करे; कुल मिला कर छः महीने से अधिक की अवधि न हो। यह तरमीम मैंने सदन के सामने रखी है और जो माननीय मंत्री महोदय इस विभाग के हैं, जब वे बोल रहे थे और हमारे सामने काम काज चलाने के बारे में सहयोग देने के लिए, जोर दे रहे थे और गलती सुधारने के बारे में दृष्टिकोण रख रहे थे तो यह वाजिब मालूम हुआ। यदि उसमें गलती हो गई है यदि उसमें रुटीन के तरीके से गलती हो गई हो तो क्यों उस पर इतनी सख्ती बर्ती जाय और इस प्रकार का हाउस का ध्यान बनने से मेरे खयाल से, यह अमेन्डमेन्ट बेस्ट अमेन्डमेन्ट के रूप में आया है। अगर दरअसल यह बात हुई है, अगर दरअसल रुटीन तरीके की गलती को सुधारना है, दरअसल काम सुचारु रूप से चलाना है, दरअसल अगर वे चाहते हैं कि हमारी स्वायत्त शासन संस्थाएं ठीक प्रकार से चलें तो फिर इस अमेन्डमेन्ट को उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें छः महीने की मयाद दी गई है। यदि मान लीजिए एक दो केसेज में गलती हो गई है अथवा ८-१० म्युनिसिपेलिटीज का ही सवाल सामने हो तो सरकार खास हुक्म निकलवा कर इलेक्टोरल रोल्स तैयार करवा सकती है, उस पर एक दो माह की अवधि भी निश्चित कर सकती है। यदि, जैसा कि उन्होंने कहा कि यदि जागृति का अजीर्ण होगया है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनको भी दो महीने की अवधि दी जा सकती है। लेकिन यदि गलती सुधारने का अजीर्ण होगया हो और बार २ गलती न करने का अजीर्ण हो गया हो और फिर दुबारा सुधारने का अजीर्ण न हो गया हो तो माननीय मंत्री महोदय इसको सुधार लें। आयन्दा इस प्रकार की गलती न हो, इसकी सूचना भी वे अपने अधिकारियों को दे दें। यह नहीं हो सकता कि बार बार गलती करते जायं और बार बार उसको सुधारते जायं। मैं चाहता हूं कि वे इस अमेन्डमेन्ट के बारे में अपनी राय दें। उनकी जो मंशा है कि स्वायत्त शासन संस्थाएं सुचारु रूप से चलें, उनका काम अच्छा चले तो उसके बारे में इस अमेन्डमेन्ट से पता चलेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा:—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो यह अमेन्डमेन्ट मूव किया है..

श्री गोपीलाल यादव:—क्या माननीय सदस्य गवर्नमेन्ट की ओर से जवाब दे रहे हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा:—मैं भी बोलने का हक रखता हूं।

श्री गोपीलाल यादव:—सवाल तो यह है कि तमाम अमेन्डमेन्टस मूव कर दिये जायं और फिर उनका सरकार की ओर से जवाब दिया जाय।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—सवाल यह है कि इस सम्बन्ध में यदि सम्बन्धित मंत्री महोदय बोलते हैं तो वे कलेक्टिव रेस्पोन्सिबिलिटी के आधार पर ही बोलते हैं। अगर सम्बन्धित मंत्री महोदय और दूसरे मंत्री महोदय की अलग अलग राय हमारे सामने आयी तो क्या कौन्स्टिटयूशनल परिस्थिति पैदा हो जायगी मैं नहीं कह सकता?

श्री नाथूराम मिर्धा:-अगर अलग अलग परिस्थिति पैदा हो जायगी तो उसे देख लिया जावेगा ।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:-Are we not to get all the amendments moved, Sir ?

श्री गोपीलाल यादव:-अध्यक्ष महोदय, इस बिल के सेक्शन २ में सबसे ज्यादा खटकने वाली चीज मेरे मित्र भैरूंसिह ने जो रखी है वह है insertion of "from time to time". मैं चाहता हूं कि इस "time to time" को इसमें से डिलीट कर दिया जाय । इसके साथ ही जब हम गलती का सुधार ही कर रहे हैं तो एक्सटेन्शन एक दफा से ज्यादा बार नहीं होना चाहिये; इसलिये "Extension" शब्द के बाद "once" और जोड़ा जाय और "from time to time" को कतई निकाल दिया जाय। इसके बाद prospective के बाद के सारे words निकाल कर "period not exceeding six months" को जोड़ दिया जाय । मैं जो एमेन्डमेन्ट पेश करना चाहता हूं उसमें ये सारी चीजें आजाती हैं। जो एमेन्डमेन्ट रखे गये हैं उनमें से किसी में एक चीज रह जाती है तो दूसरे में कोई चीज आजाती है। "from time to time" शब्दों को छोड़ना मुझे बहुत जरूरी मालूम होता है। एक बार मयाद बढ़ाने के बाद दूसरी, तीसरी बार और मयाद नहीं बढ़ानी चाहिये। इस पर भी यदि किसी खास केस में सरकार के सामने मुसीबत पेश हो तो उसे हाउस के सामने रखकर मंजूरी ले सकते हैं और हाउस की बैठक खतम हो गई हो तो राजप्रमुख द्वारा आर्डिनेन्स जारी करा सकते हैं । लेकिन म्युनिसिपेलेटीज के कार्य-कर्ताओं को यह सोचने का मौका नहीं देना चाहिये कि दुबारा और मयाद बढ़वा लेंगे। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि शब्द "time to time" हटा देने चाहिये ।

तीसरा एमेन्डमेन्ट जो मेरे मित्र व्यासजी ने रखा है उसमें aggregate ६ महीने मयाद बढ़ाने का है। इसमें यह नुक्स रह जाता है कि ६ महीनों में तीन बार भी एक्सटेन्शन बढ़ा सकते हैं। पहले दो महीने के लिये बढ़ा दी, फिर ३ महीने के लिये और बाद में एक महीने के लिये और बढ़ादी गई। यह भी ठीक नहीं है। आपको ६ महीने के लिये अवधि एक्सटेन्ड करनी है तो एक ही बार कर दीजिये। इसलिये मैं समझता हूं कि "from time to time" को उड़ा दिया जाय और उसके बजाय ६ महीने की मयाद रखदी जाय । ६ महीनों की रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिये या तो प्रोविजो बढ़ा दिया जाय या "time to time" शब्दों को निकाल कर नये शब्द जोड़ दिये जावें।

नाथूराम मिर्धा:-अध्यक्ष महोदय, जो एमेन्डमेन्ट सदन के सामने आया है और उसके द्वारा ६ महीने की रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिये या तो ोविजो जोड़ने के लिये कहा गया है या 'From time to time' शब्दों को निकाल देने का कहा गया है....

श्री माधोसिंह:-On a point of order, Sir, is the Hon'ble member answering on behalf of the Minister concerned ?

श्री नाथूराम मिर्धा:-माननीय उपाध्यक्ष, मुझे भी सदन के सदस्य के नाते बोलने का हक है और मैं उसी अधिकार के मातहत बोलना चाहता हूं । इसलिये माननीय सदस्यों को संयम रखना चाहिये।

श्री माधोसिंह:—आदेश अध्यक्ष महोदय दे सकते हैं आप नहीं ।

श्री नाथूराम मिर्धा:—मैं सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान रिट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव शब्दों की ओर दिलाना चाहता हूं । मेरे ख्याल से कुछ बोर्ड्स का समय ६ महीनों से ज्यादा निकल चुका है और उसमें फिर २-३ महीने लग सकते हैं । इसलिये प्रोविजो में ६ महीने लगाने से पुरानी गल्तियों को पूरी तरह से दुरुस्त नहीं किया जा सकेगा । इसलिये जो बुनियादी झगड़ा है वह रह जायगा । समय २ पर मयाद बढा कर बोर्ड्स की अवधि बढाई जायगी, यह बार २ कहा गया है । तो मैं अर्ज करनी चाहता हूं कि ऐसा बार २ नहीं किया जायगा । श्री मोदी जी का जो एमेन्डमेंट था उसे मंत्रीजी ने स्वीकार कर लिया है । इलेक्टोरल रोल्स जल्दी तैयार करने की कोशिश की जायगी फिर भी दो तीन महीने ज्यादा लग सकते हैं इसलिये ६ महीने की रेस्ट्रिक्शन रखने से खामियें पूरी नहीं हो सकेंगी । इसलिये मैंने माननीय सदस्यों के सामने जनरल कठिनाइयें सदन का सदस्य होने के नाते रखी हैं ।

श्री गोपीलाल यादवः-अध्यक्ष महोदय, अर्थ मंत्रीजी ने पिछली मयाद के बारे में बात कही है । पीछे की मयाद के लिये भले ही आप तीन वर्ष ले लीजिये लेकिन प्रश्न तो भविष्य का है। भविष्य के लिये जो बात मुफीद पड़ती है वही रहनी चाहिये ।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री):—अध्यक्ष महोदय, कई एमेन्डमेंट्स अभी आये। एक माननीय साथी ने तो सरकार की भावना और मंशा का टेस्ट केस इसी बात से मान लिया कि उनके एमेंडमेन्ट को स्वीकार कर लिया जाता है तो उनको विश्वास हो जायगा । यह बात सही है कि सरकार की भावना सही है और जहां तक भावना का संबंध है माननीय साथी इन्द्रनाथजी का एमेंडमेंट, जो वाजिब था, उसे तुरन्त हमने स्वीकार कर लिया है । जिस मतलब से यह विधेयक रखा गया है उसी मतलब से ताल्लुक रखने वाली बातें उक्त एमेंडमेन्ट में थीं, इस लिये इस एमेन्डमेन्ट को तुरन्त स्वीकार कर लिया गया है । बाकी एमेन्डमेन्ट्स से तो उन साथियों की भावनाओं का पता चलता है जिन्होंने ये एमेंडमेंट पेश किये हैं । उनका न्याय से पूर्ण विरोध रहा है । वे शुरू से ऐसे ही रूप में ऐसे संशोधन पेश करते आये है । आपको विरोध करने का अधिकार जरूर है; लेकिन आपको अपनी भावनाओं को छिपाने का अधिकार नहीं है । ये तो साफ स्पष्ट हो जाती हैं । नगरपालिकाओं के काम में रुकावट नहीं आनी चाहिये, इस भावना से प्रेरित होकर एमेंडमेंट नहीं पेश किये गये हैं: इसके खिलाफ ही मंशा जाहिर होती है । अपने भाषणों के दौरान में कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात को प्रकट किया कि कुछ ऐसी

नगरपालिकाएं हैं जिनका चुनाव गये साल में होना चाहिये था। कुछ ने कहा है कि कई नगरपालिकाओं के चुनाव चार साल से नहीं हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर भी आप कहते हैं कि मयाद ६ महीने रखनी चाहिये, इससे ज्यादा पीरियड नहीं होना चाहिये। ये सारी बातें घूम फिर कर उस जगह आती हैं कि इस विधेयक को स्वीकार नहीं किया जाय। किस मकसद और भावना से इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया है यह मैंने विधेयक को पेश करते समय अपने निवेदन में अर्ज किया था। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधेयक, श्री इन्द्रनाथजी के एमेंडमेंट को इसमें मिलाने के बाद, ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना चाहिये। इसी से इसका मकसद पूरा होगा। इसमें मैं सबका सहयोग चाहता हूं। बार २ एक दूसरे के भावना की बात करना अच्छा नहीं है। एमेंडमेंट की बात को छोड़ कर कितने ही साथी कांग्रेस पर आ जाते हैं व पार्टी के सिद्धान्तों के ऊपर आ जाते हैं। यह बात सही है कि मैं कांग्रेस का सदस्य हूं और मैं इस बात का विश्वास रखता हूं कि कांग्रेस के सिद्धान्तों द्वारा जनहित होगा और उसी के द्वारा जनता का कल्याण होना सम्भव है और राजस्थान का हित इसी में मानता हूं कि कांग्रेस के सिद्धान्तों पर चलें और इसलिये मैं अपनी पार्टी के उद्देश्यों के प्रति वफादार हूं। अगर मेरे दोस्तों का यही ख्याल है कि मैं केवल पार्टी के प्रति वफादार हूं और जनहित का मुझे कोई ख्याल नहीं है तो मैं समझता हूं वे भूले हुए हैं। कोई पार्टी जनहित के प्रति जागरूक है तो उस पार्टी के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है कि वह उसके प्रति वफादार रहे। मेरी पार्टी की वफादारी समाज-कल्याण और जनता के हित में बाधक नहीं है। इसलिये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस तरह की छोटी २ बातें, मैं काम सहयोग देने की भावना की द्योतक नहीं हैं।

आप इस विकास में सहयोग दें और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सहयोग से हम सब मिल कर राजस्थान में प्रजातन्त्र की नयी परम्परा कायम करेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—Mr. Speaker, Sir, I have not been able to understand clearly what the idea of the Member-in-charge is If the only doubt is about the period that has elapsed uptil today or upto the date this Bill comes into force, then we are prepared to relax or clearly waive the time limit. The Member-in-charge may move an amendment to that effect and we shall be prepared toaccept it.

श्री रामकरण जोशी:—मैं समझता हूं कि........

श्री अवनिकुमार:—He has got a right to reply.

श्री अध्यक्ष: -Order, order.

श्री हरिकृष्ण व्यास:—मैं पहले ही ध्यान में लाया था। जब कि मंत्री महोदय बोल रहे थे तो मुझे अन्देशा हुआ था और इसी लिये मैं यह बात ध्यान में लाया था कि जो पुराना समय बीत गया उसका क्या होगा? हम यह मंजूर करने को तैयार हैं कि यह ६ महीने गिने जायंगे जब से यह एक्ट फोर्स में आयगा। अगर इस प्रस्ताव से इस अमेन्डमेन्ट को स्वीकार करने में कोई ऐतराज है तो इसको दूर किया जाय; सफाई होना जरूरी है।

श्री रामकरण जोशी:—इस बिल पर काफी बहस हो चुकी है और अब मैं आपके द्वारा सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल पर जितने भी अमेन्डमेन्टस आये हैं उनमें से जो मैंने स्वीकार कर लिया है उसके अलावा किसी भी अमेन्डमेन्ट को मैं उपयुक्त नहीं मानता कि उसे इस विधेयक मे लिया जाय। और सदन को इस बारे में फैसला करने का अधिकार दिया जाय। पिछले और अब के विचारों को मिला कर जो मेरे मित्रों की ओर से सद्भावना का परिचय दिया गया है उसके लिये मैं उन मित्रों का आभारी हूं।

मुझे मोदीजी के अमेंडमेंट के सिवाय और कोई अमेंडमेंट स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष:—प्रश्न यह है कि खण्ड २ पर श्री भैरूंसिहजी द्वारा प्रस्तुत तीनों संशोधन स्वीकार किये जायं।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड २ पर श्री गोपीलालजी द्वारा प्रस्तुत संशोधन स्वीकार किये जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड २ पर श्री तनसिंहजी द्वारा प्रस्तुत संशोधन स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड २ पर श्री इन्द्रनाथजी द्वारा प्रस्तुत संशोधन स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ ।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि विधेयक का खण्ड २ श्री इन्द्रनाथजी मोदी द्वारा प्रस्तुत संशोधन सहित विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

खण्ड २ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ३ बिल का अंग बने ।

(स्वीकृत)

खण्ड ३ बिल का अंग माना गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ४ बिल का अंग बने ।

(स्वीकृत)

खण्ड ४ बिल का अंग बना ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १......

श्री तनसिंहः—मैंने अपना एक एमेन्डमेन्ट इस खण्ड पर पेश किया है; वह शायद रह गया है । क्लॉज १ पर ही मेरा एमेन्डमेन्ट था ।

(विराम)

श्री इन्द्रनाथ मोदीः—Was the amendment moved at all ?

श्री तनसिंहः—मेरा एमेन्डमेन्ट यह है

In clause 1, in the end, add sub-clause (4) as below.—

(4) "It shall remain in force for a period of one year."

मेरा एमेन्डमेन्ट मूव करने का मतलव यह है कि जब यह कहा जाता है कि हम सब सहयोग देने के लिये तैयार हैं तो फिर भी जो कुछ पहले हो गया है उससे ज्यादा समय........

(कुछ सदस्य आपत्ति करने को खड़े हुए)

श्री रामकरण जोशी:—एमेन्डमेन्ट आने दो । इसका तो वही फेट होगा जो पहले के संशोधनों का हुआ है ।

श्री तनसिंह:—मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मंत्रीजी ने इस एमेन्डमेन्ट की भविष्य की स्थिति बतला दी है । मंत्री महोदय को इस बात का घमण्ड है कि इस पक्ष में कम व्यक्ति हैं और उनके पक्ष में ज्यादा हैं इसलिये इस संशोधन की दुर्गति होगी । लेकिन मैं आपको यह बता देना चाहता हूं और मैं जानता हूं कि इसकी दुर्गति हो कर रहेगी मगर मैंने यह एमेन्डमेन्ट इसलिये रखा है कि यह अपना कर्तव्य है । इसका चाहे कैसा भी परिणाम हो, मुझे चिन्ता नहीं । मेरी राय में जो वाज़िब चीज है वह मैंने रखी है और सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इसकी वाजिबता और गैर वाजिबता पर पूरा पूरा गौर करें और माननीय मंत्रीजी से भी यही कहूंगा कि वे इस पर फिर सोचें । यह एक मूल सिद्धान्त की बात है । एक साल के लिये लागू हो ताकि इस समय में जो कुछ भी पहले समय लगा है उस टाइम के अन्दर २ सारा काम हो जाय । इसे बढाने के लिए अवसर नहीं दिया जाय । मैंने इस पर ही निवेदन किया है ।

श्री रामकरण जोशी:—मुझे यह दुःख है, मुझे गलत समझ गये ।

श्री माधोसिंह:—अध्यक्ष महोदय, सदन का समय व्यर्थ ही वेस्ट क्यों किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष:—माननीय सदस्य ने जो एमेंडमेंट मूव किया है उस पर पहले लिखा हुआ नोटिस नहीं मिला है; लेकिन इस वक्त बोलने के लिए उनको इजाजत दी गई। अब प्रश्न यह है कि श्री तनसिंहजी द्वारा प्रस्तुत संशोधन स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि खण्ड १, टाइटल तथा इनेक्टिंग फोर्म्युला बिल में अंगरूप से स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

खण्ड १, टाइटल तथा इनेक्टिंग फोर्म्युला बिल में अंगरूप से स्वीकार किये गये।

श्री रामकरण जोशी:—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य में नगर समितियों (म्युनिसिपल बोर्ड्स) के अवधि-विस्तार की व्यवस्था करने वाला विधेयक पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष:—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक संशोधित रूप में पारित हो।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ।

अराजकीय सदस्य विधेयक

राजस्थान पशु तथा पक्षी बलिदान निवारक विधेयक, १९५२

श्री माधोसिंह:—अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल प्रस्तुत किया जा रहा है वह भारत के कांस्टिट्यूशन के विरुद्ध है। Right to freedom of religion....

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—On a point of order, sir, I do not think the Hon'ble Member has any business to anticipate what a Member is going to speak. We do not know what the next business of the House is? He may kindly wait and see and then put in his objections. There is no desire on may part to stand in the way of his raising the objection, but the motion must come before the House before any objection is raised.

श्री गोपीलाल यादव:—माननीय अध्यक्ष, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान में पशु पक्षी की कुरबानी को रोकने वाला यह विधेयक विचारार्थ लिया जाय।

श्री माधोसिंह: – On a point of order, Sir, the bill moved by the Hon'ble Member cannot be passed in this House as it is against the Constitution of India, fundamental rights guaranteed in Article 25, "Right to freedom of religion" which is one of the fundamental rights of the people, is not open to criticism. This Bill seeks to violate the religious rites of the Hindu culture and hence it cannot be passed in this House. I want your ruling sir.

श्री गोपीलाल यादव:—अध्यक्ष महोदय, रूलिंग का कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर एक आदमी यह कहता है कि मेरे धर्म में लिखा है पशुओं को मारना तो दूसरा यह कह सकता है कि जैसा कि आसाम में नागा जाति है कि मनुष्य की बलि करना भी हमारा धर्म है, और कल कोई आदमी मेरे माननीय मित्र को उठा ले जाय, बलि के लिए तो क्या वह बात ठीक होगी।

श्री माधोसिंह:—अध्यक्ष महोदय मेरे एक मित्र ने जो कुछ कहा शायद मैं उनकी भावना को नहीं समझ सका हूं। मेरे ऑब्जेक्शन रेज करने का मकसद यह कि यह एक जो बिल उन्होंने मूव किया है उसके अन्दर भारत के

संविधान में स्पष्टीकरण किया गया है। मैं आर्टिकल २५ और २६ पढ़कर सुनाता हूं:–

"25. (1) Subject to public order, morality and health and to other provisions of this part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practise and propagate religion."

इसके अन्दर क्लॉज (२) यह है–

"(2) Nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the State from making any law"

जिसको क्लॉज (ए) क्लेरिफाई करता है

"(a) regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice;"

इसका (बी) में स्पष्टीकरण कर दिया गया है

"(b) providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus."

इस कॉन्स्टिट्युशन की मन्शा साफ है। "बी" इसलिए रखा गया है कि शायद शिड्यूल ट्राइब्स को मंदिर में जाने से बन्द कर दिया जाय; इसलिए कॉन्स्टिट्युशन में दे दिया गया है कि जो रिलीजियस प्रेक्टिस है और जो रिलिजियस राइट्स हैं उनके अन्दर हस्तक्षेप करना हमारे सदन के अधिकार के बाहर है।

आर्टिकल २६ में साफ कहा है। इसने क्लाज "बी" को बिल्कुल साफ कर दिया है –

"26. Subject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right

(a) to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes;

(b) to manage its own affairs in matters of religion;

(c) to own and acquire movable and immovable property; and

(d) to administer such property in accordance with law."

हरएक आदमी फ्री होता है अपने राइट्स ऑफ रिलिजियन और डाइटीज को मेन्टेन करने के लिए। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं यह रूलिंग चाहता हूं। आगे वाद विवाद न होकर सदन इसको पास कर सकता है।

श्री किशनलाल शाह:–अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में एक कॉन्स्टिट्युशनल पोइन्ट ओफ आर्डर उठाया गया है। कॉन्स्टिट्युशन के जो आर्टिकल्स साइट किये गये हैं, उसमें जो सब्जेक्ट टू पब्लिक मोरेल भी दिया गया है। उसमें और आगे रिलिजियस राइट्स म दोनों में भेद नहीं करते हुए माननीय सदस्य ने यह कहा कि यह रिलिजियस राइट्स हैं। रिलिजियस राइट्स और रिलिजियन की परिभाषा को अगर देखा जाय तो मैं समझता हूं कि यह जो प्रस्ताव आया है वह धर्म से कतई संबंधित नहीं है : वह रूढि से संबंधित, अन्धविश्वास से संबंधित है। और जहां रूढि और अन्धविश्वास को धर्म के नाम पर आगे लाया जाय तो उसमें कोई दूसरी भावना हो सकती है, और इसमें कॉन्स्टिट्युशन की कोई अड़चन नहीं आ सकती। जहां तक कि कोई भी इसकी परिभाषा होगी कि "What is religion" तो यह शास्त्रों में दिया हुआ है। परन्तु उसकी यह परिभाषा मानकर कि यह जितना भी किया जाता है वह धर्म के नाम पर है या धर्म है; वह मैं समझता हूं कि यह धर्म नहीं है। यह धर्म के नाम पर अन्धविश्वास से, रूढि से या स्वार्थपरायणता या और किसी वजह से किया जाता है, धर्म नहीं है।

इसलिये यह कहना कि इससे धर्म में बाधा उपस्थित हो सकती है और कॉन्स्टिट्युशन के विरुद्ध यह बिल है, ठीक नहीं। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि यह संविधान के विरुद्ध नहीं है। सदन इस पर विचार कर सकता है। यदि हमें समाज का सुधार करना है, भारतीय संस्कृति और भारत के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाना है तो हमें जरूर इस प्रकार के सुधार करने होंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बिल को विचारार्थ लिया जाय। इस पर जो पोइन्ट आफ आर्डर रेज किया गया है वह वाजिब नहीं है।

श्री माधोसिंह (भैंसवाड़ा):–शायद मेरे मित्र को मालूम नहीं कि हिन्दू शास्त्रों में जहां पूजा की बात आती है वहां बलि देने की भी बात कही गई है; वहां बलि देने की भी विधि है। यह बात मेरे मित्र को ज्ञात न होते हुए भी उन्होंने यह कह डाला है कि पोइन्ट आफ आर्डर वाजिब नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि Social reform के नाम पर धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष:–वैधानिक आपत्ति जो उपस्थित की गई है उस पर सदस्यगण अपने अपने विचार प्रकट करेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा:–अभी तक तो १५ मिनिट बाकी हैं; एक दो भाषण हो जायं तो ठीक है।

श्री जसवन्तसिंह:–सदन के सामने जब प्रस्ताव रख दिया गया है तो मेरी समझ में अब सोचने की कोई बात नहीं रह गई है।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—The question is a pretty important one and the time at the disposal of this House is extremely short. I would suggest that the debate from this stage may be left forward to be taken in the next session. We have got barely 10 minutes and I do not think we can discuss a matter of this importance in such short time. Therefore I hope the House will approve of the suggestion that I have made. The members will have ample opportunity to study this important question raised by the Hon'ble Member.

श्री माधोसिंह:—I want your ruling, Sir.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—The ruling has already been given.

(१२.२० बजे श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

श्री छोटूसिंह:—अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से निवेदन करूंगा कि जितने भी पशु-पक्षी, धर्म के नाम पर बलि चढ़ाये जाते हैं, उनकी हत्यायें होती हैं, इस को बन्द करने के शुभ कार्य के लिए जो बिल पेश किया गया है उसमें देरी करने की आवश्यकता नहीं है। इस शुभ कार्य के लिए अधिक विलम्ब न करके इस बिल को जल्द से जल्द पास किया जाना चाहिये।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—I think the suggestion that I made is acceptable to both the sides of the House.

श्री टीकाराम पालीवाल:—Sure, Sure.

श्री अध्यक्ष:—What is the view of the House? Do the House want to discuss the Bill further.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—Before you had arrived, an objection had been raised on behalf of a Member....

श्री अध्यक्ष:—That I know.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—I think in view of the short time at our disposal, the suggestion had been accepted by both the sides of the House. This is a matter of great importance and might be taken during the next session.

श्री किशनलाल शाह:—मेरी तो राय यह है कि इसे आज ही लिया जाय।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—Is it the Hon'ble Member's view that this Bill can be taken up, considered and passed within five or seven minutes left at our disposal?

श्री टीकाराम पालीवालः--I think the suggestion was that the time should be extended and we should sit in the afternoon also.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:--We have another suggestion now.

श्री अध्यक्ष:--What is the desire of the mover of the Bill.

श्री गोपीलाल यादवः--माननीय अध्यक्ष, मेरा ख्याल है कि आज ही इस बिल के पास होने से कल जो दो चार पशु-पक्षियों की जो बलि होने वाली है वे बच जायेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि हाउस के उठने से पहले इसको पास कर दिया जाय।

श्री माधोसिंह:--पास करने का सवाल तो बाद में आता है। पहला जो मेरा ऐतराज है कि यह संविधान के विरुद्ध है उसको तय करने के बाद यह बिल आ सकता है।

श्री अध्यक्ष:--We have practically exhausted all the work, all the business of the House.

अब बिजनेस नहीं रहा है। सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट्स भी आनी बाकी हैं और जब तक वे नहीं आजातीं तब तक हमारे सामने कोई काम नहीं रहता। अतः इस बिल को भी स्थगित कर दिया जाय।

श्री गोपीलाल यादवः--माननीय अध्यक्ष, अभी प्राइवेट मेम्बर्स के भी बिल आने बाकी हैं, डिस्कशन चल रहा है, रिजोल्युशन्स भी आने बाकी हैं....

श्री अध्यक्ष:— No. But we are not going to prorogue and when we meet next there will be a day allotted for the private members' business and the next business will be taken at the stage from which we leave.

We now adjourn *sine die*.

(सदन की बैठक १२ बज कर १८ मिनट पर "साइन डाइ" स्थगित हुई)

सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक ३ नवम्बर, १९५२

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।
